उत्तराखण्ड शासन

# वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

## भाग-1

## (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

वर्ष

2008-09

प्रतिवेदकः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

# विषय सूची

भाग-1

## (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

(1) प्रशासनिक खण्ड


| क्र०सं० | विवरण | कण्डिका | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1- | विभागीय प्राधिकार के श्रोत | 2.1 | 1-2 |
| 2- | सम्परीक्षाधीन लेखे | 3.1-3.2 | 2 |
| 3- | सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य | 4.1-4.2 | 2-4 |
| 4- | प्रभागीय आय-व्ययक | 5.1 से 5.3 | 4 |
| 5- | प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय | 6.1-6.2 | 4 |
| 6- | प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था | 7.1 से 7.4 | 5-6 |
| 7- | प्रभाग की जनशक्ति | 8 | 6 |
| 8- | स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य | 9 | 6-7 |
| 9- | सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें | 10.1.1 | 7 |
| 10- | विशेष सम्परीक्षायें | 10.1.2 | 7 |
| 11- | सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति | 10.2.1-2.2 | 7-8 |
| 12- | जिला पंचायतें, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण | 13 | 9 |
| 13- | निष्कर्ष | -- | 9 |
| (2) | कार्यकारी खण्ड | - | 10 |
| (3) | परिशिष्ट,क,ख,ग,घ,ङ.,च,छ व ज | - | 31-46 |

# प्रशासनिक खण्ड

1- उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 एवं उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 में सम्पादित लेखा परीक्षा के आधार पर वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

## 2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

*2.1* उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 तथा पंचायत राज नियमावली 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्राविधान है। उ०प्र० जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली 1999 के नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है।

## 3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

*3.1* वर्ष 2008-09 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं की संख्या 2719 और पंचायत राज संस्थाओं की संख्या 7394 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" भाग "एक" में दिये गये है।

*3.2* सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची परिशिष्ट "ख" में दी गयी है।

## 4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य--

4.1 सम्परीक्षा का कार्य संस्था के वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व है। राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ-साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही हैं और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम,

नियमावली, उपविधियों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी राजाज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक, सहकारी समितियाँ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण भी किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरुप किया गया हैं अथवा नही और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही हैं अथवा नहीं, इसकी समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है।

## 4-2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप:

1- सम्परीक्षाधीन सहकारी समितियों व पंचायत राज संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

4- सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय-व्यय, रोकड पत्र एवं लाभ-हानि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।

5- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरुप सहकारी संस्थाओं को उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

6- सहकारी संस्थाओं में नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप अशोध्य व संदिग्ध परिसम्पत्तियों का आंकलन करना।

7- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

8- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उसे राजकीय कोषागार में जमा कराना।

9- सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत प्राधिकारियों के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरुपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिभार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को विशेष प्रतिवेदन निर्गत करना।

10- उपर्युक्त सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

11- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर निर्देशानुसार कार्यवाही करना।

## 5- प्रभागीय आय-व्ययक:-

*5.1-* यह प्रभाग उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन हैं और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक है।

*5.2-* इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

*5.3-* लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य व वर्तमान समय में नाम मात्र स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता हैं जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (परिशिष्ट 'ग') उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है।

## 6- वित्तीय वर्ष 2008-09 में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क

वित्तीय वर्ष 2008-09 में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति है:-

| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष | अवधारित सम्परीक्षा शुल्क (रू0) | राजकीय कोष में जमा धन राशि |
|---|---|---|---|
| 1- | 2008-09 | 6611680.00 | 7709930.00 |

## *7-1* विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था:-

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शा०सं० 5058/वि०शा०स०/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के नियन्त्रणाधीन कार्यरत हैं जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि-स्तरीय है:-

(1) मुख्यालय स्तरीय।
(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ"** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी हैं जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ-1"** में दी गयी है।

## 7.2-1- मुख्यालय स्तर:-

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून में स्थित है।

*7.2-2-* मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-8 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख संस्थाओं जैसे राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें, सहकारी भेषज संघ आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा कार्य का पर्यवेक्षण, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

*7.2-3-* जनपद स्तरीय:-

लेखा परीक्षाधीन इकाईयां राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। सभी 13 जनपदों में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा के जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी है। इनके अधीन नियुक्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-।, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक व लेखा परीक्षक जनपदों में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते है।

## 8- प्रभाग की जनशक्ति:-

वर्ष 2008-09 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है:-

| क्र०सं० | अधिकारी/ कर्मचारी का समूह | स्वीकृत पद | कार्यरत सं० | रिक्त पद सं० |
|---|---|---|---|---|
| 1- | समूह "क" | 04 | 02 | 02 |
| 2- | समूह "ख" | 18 | 16 | 02 |
| 3- | समूह "ग" :- | | | |
| | सहा०ले०प०अ० | 35 | 33 | 02 |
| | ज्ये०ले०परीक्षक ग्रेड-1 | 09 | 02 | 07 |
| | ज्ये०ले०परीक्षक | 221 | 32 | 189 |
| | लेखा परीक्षक | 55 | 15 | 40 |
| | **योग लेखा परीक्षा कर्मी-** | **320** | **82** | **238** |
| | लिपिक वर्ग | 60 | 17 | 43 |
| 4- | समूह "घ" | 35 | 10 | 25 |
| - | योग | 437 | 127 | 310 |

## 9- सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:-

वर्ष 2008-09 में 25.6 प्रतिशत कार्यरत लेखा परीक्षा कर्मियों से सम्परीक्षाधीन 10113 लेखाओं में से 2630 चालू व 2761 अवशेष वर्षो सहित कुल 5391 लेखों की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों, जिला सहकारी दुग्ध संघो की लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ऋण राहत योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक सरकारी कृषि ऋण समतियों की लेखा परीक्षा पूर्ण की गयी।

### 10.1-1- सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें:-

(क) सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में सम्परीक्षित लेखाओं में उदघाटित गम्भीर अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू० 105505192.10 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | शीर्षक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1- | व्यपहरण | 9424850.05 |
| 2- | अनियमित/अधिक भुगतान | 28678992.91 |
| 3- | आर्थिक क्षति | 482041.63 |
| 4- | राजस्व हानि | 0 |
| 5- | विविध अनियमिततायें | 66910656.80 |
| | **योग** | **105496541.39** |

### 10.1-2- विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन:-

लेखा परीक्षित संस्थाओं में गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नियमावली के नियम 233 के अनुसार निर्गत किये जाते है।

### 10.2-1- सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :-

वर्ष 2008-09 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी:-

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष 2008 को प्रारम्भिक अवशेष रूपया | | 70,89,387.00 |
| वर्ष में अवधारित शुल्क धनराशि रूपया | (+) | 66,11,680.00 |
| **योग रू० -** | | 1,37,01,067.00 |
| वर्ष दौरान राजकीय कोष में जमा धनराशि रू0 – | (-) | 77,09,930.00 |
| **31 मार्च, 2009 को बकाया रू० -** | | 59,91,137.00 |

*10.2-2-* वर्ष 2008-09 में कुल लेखा परीक्षा शुल्क धनराशि रु० 1,37,01,067.00 में से दिनांक 31 मार्च, 2009 तक कुल रू० 77,09,930.00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी गयी है।

**11- निष्कर्ष:-**

वर्ष 2008-09 में 2719 सहकारी संस्थाओं 7394 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जानी थी। सहवर्ग की कमी के कारण बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर की धारा 44 ए०बी० में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए 1060 सहकारिता एवं 1570 पंचायतों की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10 (1) में वर्णित रुपये 105496541.39 की वित्तीय अनियमितताएें प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण दुर्निवियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट है।

उप निदेशक
सहकारी समितियां एवं पंचायतें
निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें
उत्तराखण्ड, देहरादून

29.10.09
(राजेन्द्र प्रसाद पसबोला)
निदेशक

# कार्यकारी खण्ड

## सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वित्तीय वर्ष 2008-09)

वर्ष 2008-09 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र०सं० | लेखे की श्रेणी | अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि |
|---|---|---|
| 1- | उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० | 1134702.00 |
| 2- | जिला सहकारी बैक लि० | 15220550.00 |
| 3- | सहकारी डेयरी फेडरेशन | 31700000.00 |
| 4- | जिला सहकारी संघ/भेषज संघ एवं केन्दीय उपभोक्ता भण्डार | 66900.00 |
| 5- | किसान सेवा/दीर्घा०/साधन समितियाँ | 5660614.60 |
| 6- | दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०/समितियाँ | 12467973.37 |
| 7- | सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग हल्दूचौड हल्द्वानी | 0 |
| 8- | विशिष्ट समितियाँ/सहकारी गन्ना समितियाँ | 5209509.90 |
| 9- | ग्राम पंचायतें | 34036291.52 |
| - | योग | 105496541.39 |

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ड" में दिया गया है।

# :: वर्ष 2008-09 में सम्पन्न विशेष सम्परीक्षाऐं ::

## उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैक लि0

(वर्ष 2007-08)

विविध अनियमितता:-

1- प्रूडेन्सियल नार्म्स के आधार पर एन0पी0ए0 का रूपये 1134702.00 से कम प्राविधान किया गया।

## नैनीताल जिला सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी

(वर्ष 2007-08)

अधिक/अनियमित भुगतान:-

1- बैंक अध्यक्ष को माह जुलाई 07 में 11 दिवसों का दैनिक भत्ता सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम सं0 409 (ख) के अनुसार रू0 250.00 की दर से दिया जाना था परन्तु रू0 300.00 की दर से दिया गया है।

## टिहरी गढवाल जिला सहकारी बैंक लि0 नई टिहरी।

(वर्ष 2006-07)

गम्भीर अनियमितता:-

1- वर्ष 2006-07 में अध्यापक वेतनभोगी सहकारी समिति लि0 नई टिहरी के ऋण खातों में 01 अप्रैल 2006 को समिति पर ऋण शेष रू0 40,22,649.65 था। दिनांक 30-10-2006 से 28-2-2007 तक रू0 72,70,000.00 तथा दिनांक 07-03-2007 से 10-03-2007 तक रू0 79,50,000.00 कुल धनराशि रू0 1,52,20,000.00 बिना किसी औपचारिकता पूर्ण किये ऋण वितरण करना गम्भीर आपत्ति जनक है। समिति सदस्यों द्वारा निर्धारित किश्ते न आने पर भी शाखा प्रबन्धक श्री के0एस0 रांगड व श्री नयाल सिंह नेगी द्वारा ऋण वितरण किया जाना गम्भीर आपत्ति जनक है।

# दुग्ध अनुभाग

## नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुँआ।

(वर्ष 2006-07)

अधिक/अधियमित भुगतान:-

1- (क) यू0सी0डी0एफ0 में कार्यरत प्रबन्धक (वित्त) को दुग्ध संघ लाल कुँआ से अग्रिम रू0 0.36 लाख दिया गया जो अनियमित है।

(ख) नियमावली में प्राविधानों के विपरीत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एल0टी0सी0 रू0 3.78 लाख भुगतान अनियमित रहा।

आर्थिक क्षति:-

2- ट्रान्स्पोर्टरों को अग्रिम भुगतान एवं क्षति ग्रस्त किये गये दुग्ध पदाथों एवं लिकेज पर छूट का मूल्य रू0 2.52 लाख वसूल न करना अनियमित है।

विविध अनियमितताए

3- शासन से प्राप्त अनुदान धनराशि रूपया 59.25 लाख डीजल बायलर व भवन पर लगाया गया परन्तु वायलर व भवन का उपयोग न करना राजकीय धन का दुर्विनियोग किया है।

## दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 देहरादून

(वर्ष 2006-07)

विविध अनियमितताए

1- (क) विपणन अनुभाग व वाहन मालिकों के मध्य अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित जमानत धन राशि रू0 55,500.00 जमा न कराया जाना अनियमित रहा।

(ख) पी0एण्ड0आई0 अनुभाग के अन्तर्गत चलने वाली गाडियों का न तो अनुबन्ध कराया गया है और न ही किसी प्रकार की जमानत राशि जमा करायी गयी । इस प्रकार गाडियों का संचालन मनमानें पूर्ण ढंग से कराया जाना अनियमित रहा ।

2- रोकड पत्र दिनांक 31-3-2007 में चालू दायित्व के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों का रू0-687999.84 देना दर्शाकर लाभ हानि खाते को प्रभावित किय गया है।

3- राजकीय अनुदान व सहायता (Subsidy) के अन्तर्गत दिनांक 31-3-2007 को डेबिड शेष रू0 49,37,596.00 व क्रेडिट शेष रू0 5,47,54,169.20 को समायोजित कर रू0 4,98,16,573.20 क्रेडिट शेष दिखाया गया है डेबिट शेष रू0 4937596.00 की स्थिति निम्नवत है।

(1) गर्वमेंन्ट ग्रान्ट फार सैन्ट्रल सेक्टर देहरादून- 2551696

(2) यू0 सी0 डी0 एफ0 हल्द्वानी ग्रान्ट एकाउन्ट- 2385900

4937596

इस प्रकार अनियमित रूप से बगैर अनुदान के ही उक्त मदों में भुगतान दिखाकर पाना दिखाया गया है।

4- दिनांक 31-03-2007 को ट्रेडिग स्टाक की मद में दवाई का स्टाक रू0 73510.59 से अधिक दिखाकर लाभ प्रभावित किया गया है। जबकि दवाईयाँ जिला योजना से सहायतार्थ प्राप्त हुई थी।

**चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत।**

**(वर्ष 2006-07)**

**व्यपहरण:-**

1- रसीद संख्या 7591 दिनांक 5-1-2007 के बिक्री से रू0 620.00 कोषबही में कम दर्ज कर व्यपहरण किया गया।

2- दिनांक 30-7-2006 को दूध का स्टाक कम दर्शाकर रू0 9401.50 का अपहरण किया गया।

3- दिनांक 22-8-2006 को दूध का स्टाक कम दर्शाकर रू0 23864.00 का अपहरण किया गया।

4- दिनांक 20-3-2007 में एस0एम0जी0 खटीमा को 3400 लीटर दूध खारिज कर स्टाक कम किया गया। इस प्रकार रू0 32919.00 का अपहरण किया गया।

5- दिनांक 2-3-2007 को घी बिक्री से रू0 2475.00 को कोषांकित न कर अपहरण किया गया।

6- दूध बिक्री रू0 1231.50 से कम कोषांकित कर अपहरण किया गया।

7- जनवरी 2007 में पनीर बिक्री रू0 784.00 से कम कोषांकित कर अपहरण किया गया।

**अधिक/अनियमित भुगतान**

8- दिनांक 26-7-2006 को टैंकर मरम्मत का भुगतान अनियमित ढंग से रू0 3985.00 किया गया।

9- दिनांक 3-7-2006 को वर्ष 2005-06 से सम्बन्धित स्टेशनरी का भुगतान बिना दायित्व प्रावधान के रू0 13291.00 का करना अनियमित रहा।

दुग्ध समिति नाइसिला जनपद नैनीताल।

(वर्ष 2007-08)

**व्यपहरण:-**

1- विभिन्न तिथियों में बैंक खाते से आहरित राशि कैश बुक में दर्ज न कर रू0 33000.00 का अपहरण किया गया है।

**अधिक/अनियमित भुगतान:-**

2- दुग्ध खरीद मूल्य से अधिक रू0 813.94 का भुगतान कर समिति धन का दुर्विनियोग किया गया।

## उत्तराखण्ड राज्य सहकारी डेरी फैडरेशन

**उत्तराखण्ड राज्य सहकारी डेरी फैडरेशन हल्द्वानी**

(वर्ष 2007-08)

**विविध अनियमितता:-**

1- राजकीय अनुदान का उपयोग समयान्तर्गत न किये जाने से दिनांक 31-03-2008 को रू0 3.17 करोड अप्रयुक्त रूप से शेष दिखाकर उदासीनता बरती गयी।

**जिला भेषज सहकारी संघ उत्तरकाशी ।**

(वर्ष 2007-08)

**व्यपहरण:-**

1- दिनांक 28-10-2006 को सचिव श्री सुखवीर कुमार द्वारा चैक सं0- 097032 अंकन 5000.00 रूपये बैंक से आहरण किया गया है जिसका कैशबुक में लेखाकन नहीं किया गया है, और न आहरित राशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक समायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार सचिव श्री सुखवीर कुमार द्वारा 5000.00 रू0 अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- वन पंचायत भरगॉव में वनीकरण कार्य हेतु 66081.75 रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ था, परन्तु व्यय प्रमाण सं0-219 दिनांक 04-08-2006 द्वारा 59900.00 रू0 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर सम्बन्धी सामग्री क्रय पर व्यय किया गया। अनुदान का कम्प्यूटर क्रय में उपयोग अनियमित था।

3- कैश बुक के अनुसार बाउचर सं0- 241 दिनांक 26-08-2006 को रू0 2000.00 का भुगतान टैक्सी भाडा उत्तरकाशी से पुरोला आने जाने हेतु संघ अध्यक्ष द्वारा किया जाना अनियमित रहा।

## कोटाबाग साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल।

(वर्ष 2007-08)

व्यपहरण:-

1- (क) मिनी बैंक खाता धारकों के खातों में जमा धनराशि कम अंकित कर रूपया 12300.00 का अपहरण किया गया।

(ख) खाद स्टाक कम दर्शित कर रूपया 16563.00 का अपहरण किया गया।

(ग) रूपया 5400.00 मूल्य के खाली ड्रम गायब कर धन का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- श्री मुकन्दपाल समिति कर्मचारी को दिनांक 24-07-2007 से 12-01-2008 तक विभागीय प्रशिक्षण हेतु कुल रू0 3176.00 यात्रा देयक का अधिक भुगतान किया गया।

3- संस्था के धन का मनमाने पूर्ण ढंग से भुगतान कर रूपया 18063.00 का दुरूपयोग किया गया।

## गरमपानी साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 28-07-2005 को रूपया 10000.00 जिला सहकारी बैंक गरमपानी से आहरित किया गया, जबकि उक्त राशि को समिति कैश बुक में कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

2- दिनांक 14-03-2005 को 6000.00 रूपया मिनी बैंक द्वारा समिति को ऋण देना दर्शाकर रोकड खारिज की गयी है। परन्तु ऋण में उक्त राशि आय में दर्शित नहीं है इस प्रकार राशि रू0 6000.00 का व्यपहरण किया गया।

**ओखल ढूँगा साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल**

(2007-08)

व्यपहरण:-

1- मिनी बैंक खाताधारकों के खातों में रू0 909.00 कम जमा कर व्यपहरण किया गया।

**ज्योलीकोट साधन सहकारी समिति लि0**

(2007-08)

विविध अनियमितता:-

1- समिति में 31-03-2008 को रू0 13.17 लाख का इन्बैलेन्स रहा।

**कालाआगर साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल**

(2007-08)

अधिक/अनियमित भुगतान

1- निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं संचालक मण्डल की स्वीकृति के बिना सचिव द्वारा अलमारी, कुर्सियाँ, टेबल क्रय कर कुल रू0 10000.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**मोटाहल्दू किसान सेवा सहकारी समिति लि0 नैनीताल**

(2007-08)

अधिक/अनियमित भुगतान

1- 12 माह का यात्रा भत्ता दर 250.00 से 3000.00 होता है। परन्तु प्रबन्ध निदेशक द्वारा रू0 3800.00 का भुगतान करना अनियमित रहा।

**बगड साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल**

(2007-08)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 3-3-2008 को प्रबन्धकीय व्यय खाते में रू0 2281.00 जमा था। जबकि कैश बुक से रू0 2881.00 रोकड खारिज कर रू0 600.00 का व्यपहरण किया गया।

## पाण्डेगॉव साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल
(2007-08)

### अधिक/अनियमित भुगतान

1- यात्रा देयक में दैनिक भत्ता अधिक दर्शाकर रू0 600.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

## देवीपुरा साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल
(2007-08)

व्यपहरण:-

1- उर्वरक स्टाक धनराशि रू0 15418.00 का व्यपहरण किया गया।

2- दिनांक 23-09-2006 को धनराशि रूपया 3059.00 आय कम कोषांकित कर अपहरण किया गया।

3- खाद स्टाक खारीज कर बिक्री पंजिका में बिक्री न दर्शाकर सुखा राहत में वितरित दर्शाया गया जिसके प्रमाणक नहीं रखे गये। यूरिया 322 कि0ग्रा0 रू0 1616.44 तथा एन0पी0के0 2372.00 कि0ग्रा0 रू0 20256.88 कुल रू0 21873.32 का अपहरण किया गया।

### अधिक/अनियमित भुगतान

4- सचिव द्वारा समिति से रू0 2467.00 बोनस भुगतान प्राप्त करना अनियमित रहा।

## रानी बाग़ साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल
(वर्ष 2007-08)

व्यपहरण-

1- दिनांक 16-7-2007 को वकील की फीस रू0 8500.00 का कच्चा प्रमाणक पर अपर लेखन कर अपहरण किया गया।

2- हाईकोर्ट में कैश भुगतान रू0 1500.00 बिना व्यय का प्रमाणक के अपहरण किया गया।

**फतेहपुर साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल**

(वर्ष 2007-08)

**विविध अनियमितता:-**

1- संन्तुलन पत्र में बैंक से डिविडैन्ट रू0 156000.00 वर्ष 2006-07 व 2007-08 का दीगर पावना दर्शाया गया है जबकि बैंक द्वारा उक्त वर्षो के लाभॉश की घोषणा न करने से समिति का लाभ काल्पनिक रूप से बढाया गया है।

**साधन सहकारी समिति लि0 रायपुर, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 1996-97 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- वर्ष 1996-97 से 2006-07 तक समिति कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रक्रिया से समिति के धन रू0 357076.00 का अपहरण किया गया।

गम्भीर अनियमितता:-

2- दिनांक 31-03-2007 को मिनी बैंक खातें दारो का दायित्व रू0 1418643.00 के विरूद्ध विनीयोग बैंक खाता नं0-1677 में रू0 988056.00 व महिला समूह खातें में रू0 42689.00 कुल रू0 1030745.00 दिखाया गया है। इस प्रकार विनियोग से दायित्व रू0 387898.00 से अधिक है। जिससे मिनी बैंक खातेंदारों का धन असुराक्षित है।

**दूबड साधन सहकारी संघ लि0 चम्पावत**

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- प्रमाणक संख्या 36 से तहसील वसूली 2727.00 में आय पक्ष में मात्र 1727.00 की आमद व व्यय रू0 2727.00 दर्शाते हुये रू0 1000.00 आय पक्ष में कम कर अपहरण किया गया।

**गोसनी साधन सहकारी समिति लि0 चम्पावत**

(वर्ष 2006-07 व 2007-08)

व्यपहरण:-

1- वर्ष में तत्कालीन सचिव द्वारा सदस्यों से प्राप्त धनराशि को कोषांकित न कर स्वयं की अमानत दर्शाते हुये रू0 21343.00 का अपहरण किया गया।

2- बिना व्यय प्रमाणक के कोयला क्रय रू0 1200.00 व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया।

### विविध अनियमितता:-

3- दिनांक 31-3-2008 को तत्कालीन सचिव के नामे धनराशि रू0 60263.85 की वसूली न कर कर्तव्य निर्वहन के प्रति उदासीनता वरती गयी।

## डुमडाई साधन सहकारी समिति लि0

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 20-10-2006 को उर्वरक स्टाक 0.65 कुन्तल खारिज कर रू0 618.80 का अपहरण किया गया।

## चम्पावत साधन सहकारी समिति लि0

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- विज्ञापन व्यय दो बार खारिज कर रू0 660.00 का अपहरण किया गया।

2- कोषवही सं0 2 के पृष्ठ 5 में दिनांक 8-11-2006 को आय पक्ष का संकलित योग रू0 1000.00 से कम दर्शाकर अपहरण किया गया ।

## मंच साधन सहकारी समिति लि0

(वर्ष 2007-08)

व्यपहरण

1- दिनांक 12-2-2008/25-2-2008 को प्रमाणक सं0 89 से कृषक हाट की एम0बी0 में टी0एस0 का व्यय रू0 10000.00 अवास्तविक ढंग से करते हुये रू0 10000.00 का अपहरण किया गया।

2- दिनांक 16-11-2007 को खाता सं0 1/94 से रू0 4000.00 की वसूली को कोषांकित न कर अपहरण किया गया।

3- कैश बुक पृष्ठ संख्या 2 में आय पक्ष का योग रू0 8000.00 से कम दर्शित कर अपहरण किया गया।

4- कैश बुक पृष्ठ संख्या 4 में आय पक्ष का योग रू0 1000.00 से कम दर्शित कर अपहरण किया गया।

## मझोला दी0बहु0सा0सह0 समिति लि0 उधमसिंह नगर

(वर्ष 2004-05 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- बिना अमानत जमा के, अमानत वापसी दर्शाकर रोकड बही से रू0 73175.00 का व्यपहरण किया गया।

2- वर्ष 2005-06 में समिति द्वारा क्रय किये गये गेहूँ में से यू0पी0एस0एस0 को 199.26 कुन्टल गेहूँ की कम आपूर्ति कर रू0 127526.40 का अपहरण किया गया।

3- समिति रोकड बही में रू0 76062.00 के व्यय, प्रमाणक रहित दर्शाकर समिति धन का अपहरण किया गया।

4- वर्ष 2005-06 में गेहूँ खरीद हेतु 199.26 कुन्तल पर दर 7.27 से अंकन रू0 1448.00 की पल्लेदारी व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया।

5- वर्ष 2005-06 में दिनांक 31-3-2006 को खाली वारदाना अंकन रू0 55142.08 को हानि में अंकित कर स्टाक से वारदाना खारिज कर स्टाक का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

6- समिति के भू0पू0 एवं कार्यरत कर्मचारियों पर दीगर पावना मद के अन्तर्गत रू0 982548.98 की धनराशि अवशेष थी।

7- वर्ष 2004-05 से 2005-06 में समिति द्वारा गेहूँ खरीद व्यवसाय में प्राप्त कमीशन राशि के सापेक्ष अनुमन्य व्ययों से रू0 236470.90 अधिक भुगतान किया गया।

8- रू0 90000.00 समिति गोदाम/कार्यालय मरम्मत पर व्यय करना दर्शित है। उक्त व्यय हेतु गोदाम मरम्मत का पूर्व अनुमानित व्यय विवरण बनाकर स्वीकृत नहीं कराया गया। अत: व्यय अनियमित है।

9- वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में कुल रू0 44381.00 व्यय डीजल पर किया गया है, व्यय की जॉच हेतु न तो समिति में लॉग बुक रखी गई है, न ही व्यय का पूर्ण विवरण बनाया गया है, व्ययों की स्वीकृति बोर्ड मीटिंग में भी नहीं ली गई है। अत: व्यय अनियमित है।

आर्थिक क्षति:-

10- दिनांक 24-04-2004 को समिति की तिजोरी में रू0 207616.63 दर्शित था, जिसमें से पुलिस द्वारा अंकन रू0 15000.00 चोरों से बरामद कर समिति में जमा कराये गये, आडिट में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कैश इन सैफ का बीमा नहीं करवाया गया था, बीमा न कराने से समिति को रूपये 192616.63 की आर्थिक क्षति हुई।

**बलगडी सा0सह0 समिति लि0 पिथौरागढ**

(वर्ष 2004-05 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- आय रसीदों को निरस्त कर, मूल प्रति पर अपर लेखन एवं अन्य रसीद चस्पा कर कुल रू0 45896.00 का अपहरण किया गया।

2- आय की धनराशि रू0 5450.00 को कोषांकित न कर अपहरण किया गया।

3- अवास्वतिक अमानत रू0 56000.00 को कैश बुक से खारिज कर अपहरण किया गया।

**अधिक/अनियमित भुगतान:-**

4- बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रू0 65317.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**टिम्टा साधन सहकारी समिति लि0 पिथौरागढ**

(वर्ष 2004-05 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- सदस्यों से वसूली धनराशियॉ कैश बुक में अंकित न कर धनराशि रू0 14206.00 का अपहरण किया गया।

2- रू0 13623.42 का कैश बैलेन्स का अपहरण किया गया।

3- अवशेष रोकड रू0 5560.00 का अपहरण किया गया।

4- सदस्यों के जमा रसीद निरस्त कर धनराशि रू0 3000.00 का अपहरण किया गया।

**खिरमाण्डे साधन सहकारी समिति लि0 पिथौरागढ**

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- आय रसीद संख्या 15 दिनांक 08-05-2006 में अपर लेखन कर धनराशि रू0 3000.00 का अपहरण किया गया।

2- आय रसीद संख्या 16 दिनांक 08-05-2006 में अपरलेखन कर धनराशि रू0 300.00 का अपहरण किया गया।

3- आय रसीद संख्या 60 दिनांक 01-11-2006 द्वारा रू0 21.84 कम दर्शित कर अपहरण किया गया।

4- समिति सदस्यों के नाम दिनांक 31-03-2006 को रू0 1300.00 फर्जी अमानत धनराशि खारिज कर अपहरण किया गया।

**भुवनेश्वर साधन सहकारी समिति लि0 पिथौरागढ**

(वर्ष 2005-06)

**अधिक/अनियमित भुगतान**

1- वसूली सहायक/ चौकीदार को वेतन भुगतान रू0 5800.00 की पुष्टि में उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं सहायक निबन्धक की स्वीकृति अनुपलबध होने पर अनियमित भुगतान किया गया।

2- सचिव को यात्रा भत्ता रू0 600.00 की पुष्टि में देयक अनुपलब्ध रहने से भुगतान अनियमित रहा।

3- मिनी बैंक खर्चे रू0 900.00 बिना प्रमाणक के अनियमित रहे।

4- संचालक श्री मोहन सिंह को रू0 50.00 का अधिक अनियमित यात्रा भत्ता भुगतान किया गया।

**सिरोली साधन सहकारी समिति लि0 पौडी गढवाल**

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

व्यपहरण

1- दिनांक 24-04-2006 को रसीद सं0 99 से प्राप्त रू0 1000.00 को कैश बुक के योग में कम कर भू0पू0सचिव श्री मनमोहन सिंह रावत द्वारा अपहरण किया गया।

2- दिनांक 11-10-2006 को 100.00 रूपये से कम कैश बुक दर्ज कर अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

3- दिनांक 30-12-2006 को श्री सुशील गुसाई सचिव को निर्धारित दरो से अधिक स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रू0 3760.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

4- वाउचर संख्या 108, दिनांक 8-3-2008 को समिति कोष से बोनस रू0 2467.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**नगला इमरती किसान सेवा सहकारी समिति लि0 हरिद्वार**

(वर्ष 2004-05 से 2006-07)

व्यपहरण

1- रसीद बुक के अनुसार वसूली रू0 10180.00 को कोषांकित न कर अपहरण किया गया।

2- वर्षान्त में मिट्टी तेल स्टाक शेष रू0 19000.00 अगले वर्ष के प्रारम्भिक शेष में कम अंकित कर अपहरण किया गया।

3- वर्षान्त में बी0पी0एल0 चावल स्टाक शेष अगले वर्ष के प्रारम्भिक शेष रू0 4829.00 में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

4- वर्षान्त में वारदाना स्टाक शेष अगले वर्ष के प्रारम्भिक शेष रू0 17340.00 में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

5- स्टाक बुक से खारिज मात्रा के अनुसार रू0 103561.00 कैश बुक में बिक्री कम अंकित कर अपहरण किया गया।

**बादशाहपुर किसान सेवा सहकारी समिति लि0 हरिद्वार**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण

1- कैश बुक में प्रारम्भिक रोकड शेष कम लेकर रोकड रू0 8500.37 का अपहरण किया गया।

2- कैश रसीदों को कैश बुक के आय पक्ष में न लेकर रोकड रू0 4400.00 का अपहरण किया गया।

3- कैश बुक के आय पक्ष में कैश रसीद से प्राप्त रोकड कम लेकर रोकड रू0 700.00 का अपहरण किया गया।

4- कैश रसीद का योग रू0 1000.00 से कम दिखाकर रोकड का अपहरण किया गया।

5- उर्वरक नकद बिक्री रू0 832.00 कम जमा की गयी।

6- मिनी बैंक की कैश बुक के आय पक्ष में प्राप्ति न लेकर रू0 17700.00 रोकड का अपहरण किया गया।

7- मिनी बैंक से आहरण पत्र के द्वारा किये गये भुगतान से अधिक धनराशि दिखाकर रोकड रू0 18220.00 का अपहरण किया गया।

8- मिनी बैंक से भुगतान रू0 222600.00 की पुष्टि में प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान

9- आहरण पत्र के पृष्ट भाग पर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर न होने के कारण रू0 4000.00 भुगतान अनियमित है।

10- मिनी बैंक से किये गये भुगतान रू0 5000.00 की पुष्टि से अन्य तिथि का प्रमाणक लगाया गया है।

11- समिति में आंकिक के होते हुए भी के होते हुए भी दैनिक आधार पर अभिलेख तैयार करने के लिए रू0 19550.00 अनियमित भुगतान किया गया।

12- कालातीत देयक रू0 10067.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

13- स्टेशनरी खरीद रू0 450.00 का प्रमाणक अप्राप्त रहने के कारण भुगतान अनियमित है।

14- मिनी बैंक में रू0 6329.00 भुगतान प्रमाणक सचिव द्वारा स्वीकृत न होने के कारण भुगतान अनियमित है।

15- सदस्य की किये गये अमानत भुगतान रू0 5000.00 का खाते में लेखा न होने के कारण भुगतान फर्जी है।

16- मार्च 05 के लिए सफाई कर्मचारी को दो बार रू0 250.00 भुगतान किया गया।

**मोतियापातर साधन सहकारी समिति लि0 अल्मोडा**

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- कैश रसीदों से प्राप्त धनराशि रू0 6000.00 को कैश बुक में कोषांकित न कर अपहरण किया गया।

2- उर्वरक बिक्री/स्टॉक रजिस्टर के अनुसार उर्वरक बिक्री रू0 7370.00 से कम कोषांकित कर अपहरण किया गया।

गम्भीर अनियमितता:-

3- दिनांक 31-3-2006 को व्यापारिक स्टाक संतुलन पत्र में सत्यापन सूची के अनुसार रू0 30417.51 अधिक दर्शित था।

4- दिनांक 31-3-2005 को सत्यापित स्टाक का उर्वरक स्टाक रू0 12164.00 से कम गई।

**दन्या साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

(वर्ष 2007-08)

गम्भीर अनियमितता:-

1- दिनांक 31-3-2008 के संतुलन पत्र में भवन मरम्मत रू0 66100.00 को भवन की कीमत बढाने के बजाय अन्य हानि में डाल दिया गया। आई0सी0डी0पी0 से प्राप्त रू0 60100.00 की राशि ऋण/हिस्सों के रूप में दायित्व दर्शित करने के बजाय दीगर लाभ दर्शित कर लाभ-हानि खाते को प्रभावित किया गया।

**ध्याडी साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

(वर्ष 2006-08)

गम्भीर अनियमितता:-

1- एन0पी0ए0 प्रावधान रू0 155000.00 के स्थान पर रू0 43637.00 किया गया अन्तर रू0 111363.00 से लाभ वृद्धि कर लाभ हानि खाता प्रभावित किया गया है।

**ताडीखेत साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

(वर्ष 2007-08)

व्यपहरण:-

1- मिनी बैंक खाता सं0 34 में दिनांक 26-4-2007 को रू0 1500.00 आहरण खाते में नहीं घटाया गया और दिनांक 14-10-2007 को रू0 500.00 जमा कैश बुक में दर्ज न कर व्यपहरण किया गया।

आर्थिक क्षति:-

2- बैक ऋण वापसी धनराशि रू0 29758.00 से कम दर्शित कर आर्थिक क्षति करायी गयी।

3- दिनांक 11-7-2007 को रू0 5200.00 विक्रेता को गत वर्ष का अवशेष वेतन भुगतान दर्शित है जबकि विगत संतुलन पत्र में कोई वेतन देना प्राँवधानित नहीं है।

**राज0 पीडित साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

(वर्ष 2005-08)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 20-2-2008 को रू0 900.00 एवं दिनांक 29-2-2008 को रू0 300.00 लेखा परीक्षा व्यय दर्शित कर अपहरण किया गया।

2- विभिन्न तिथियों में सचिव श्री तारा दत्त जोशी को रू0 24732.00 फर्जी अवशेष भुगतान दर्शित कर अपहरण किया गया है।

**चिनिया चौला साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

(वर्ष 2006-07)

गम्भीर अनियमितता:-

1- अमानत समितियों में जमा रू0 10349.39 दर्शित है पुष्टि पत्र नहीं रखे गये है।

आर्थिक क्षति

2- समिति द्वारा बिना लाभाश की घोषणा किये सचिव को बोनस रू0 2467.00 दायित्व दर्शित है।

**उज्योला साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

**(वर्ष 2007-08)**

**गम्भीर अनियमितता:-**

1- दिनांक 31-3-2007 को रू0 30468.55 का रिस्क फण्ड था दिनांक 31-3-2008 को घटाकर रू0 9307.00 रिस्क फण्ड कर दिया गया इस प्रकार रू0 21161.55 अशुद्ध लाभ बढा दिया गया।

2- दिनांक 31-3-2008 को आडिट फीस हेतु प्रावधान रू0 3000.00 के बजाय रू0 9000.00 कर लाभ घटा दिया गया।

3- राजकीय ऋणों पर सूद का प्रावधान बढाने के बजाय विगत प्रावधान रू0 31000.00 को समाप्त कर लाभ बढा दिया गया।

**लमगडाकपको साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

**(वर्ष 2007-08)**

**विविध अनियमितता:-**

1- विगत अनेक वर्षो से रू0 78990.95 का बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार कर समाधान नहीं किया गया है।

**खत्याडी साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

**(वर्ष 2006-08)**

**विविध अनियमितता:-**

1- आई0सी0डी0पी0 का रू0 12500 मार्जिन मनी वापस की गयी किन्तु सतुंलन पत्र से दायित्व रू0 4925.00 ही घटाया गया अन्तर रू0 7575.00 से लाभ हानि खाता प्रभावित हुआ।

**क्वैराला साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

**(वर्ष 2007-08)**

**गम्भीर अनियमितता:-**

1- कलकुलेटर खरीद रू0 175.00 मृत स्कन्ध के बजाय विविध व्यय में दर्शित कर दिया गया।

**विविध अनियमितता:-**

2- रिस्क फण्ड बैंक में रू0 45686.00 जमा है किन्तु सतुंलन पत्र में रू0 34213.00 दर्शित कर रू0 11473.00 से लाभ-हानि खाता प्रभावित किया गया।

**भिकियासैड साधन सहकारी समिति अल्मोडा**

(वर्ष 2007-08)

गम्भीर अनियमितता:-

1- आई0सी0डी0पी0 से रू0 83500.00 भवन निर्माण के प्रमाणक सम्बन्धित विभाग के तकनीकी अधिकारी से प्रमाणित नहीं है। एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र नहीं रखा गया है।

## गन्ना अनुभाग

**सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 हल्द्वानी**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

विविध अनियमितता:-

1- सदस्यों से प्राप्त ब्याज रू0 111192.02 अधिक दर्शित कर समिति का लाभ बढाया गया।

**सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 डोईवाला, देहरादून।**

(वर्ष 2005-06)

व्यपहरण:-

1- विभिन्न मदों के अन्तर्गत (गन्ना मूल्य/बीज) का दर से अधिक भुगतान कर रू0 342.39 की धनराशि का अपहरण किया गया।

अधिक/अनियमित भुगतान:-

2- सहारनपुर स्थित कम्प्यूटर फर्म को कम्प्यूटर अनुरक्षण मद में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में रू0 112920.00 स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान कर अनियमितता बरती गयी।

विविध अनियमिततायें:-

3- भवन नवीनीकरण पर व्यय रू0 102015.57 को भवन मूल्य में न जोडकर हानि में दिखा गया।

4- दुल्लू पम्प पर रू0 1800.00 को डेड स्टाक में न शामिल कर अन्य व्यय में दिखाया गया।

5- परिषदीय व राजकीय कर्मचारियों को रू0 1218262.11 अग्रिम दिया गया था।

6- विभिन्न गना पर्यवेक्षकों द्वारा फर्जी रूप से वितरित फर्टीलाईजर के ऋण व सूद रू0 396626.44 की वसूली न करना।

7- विगत वर्षो का चीनी मिलों से गन्ना मूल्य का रू0 1492478.69 हेतु वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी है।

8- स्टाक शार्टेज रू0 1202442.68 की वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गयी है।

**सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 ज्वालापुर।**

(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

व्यपहरण:-

1- विभिन्न सदस्यों को डेली मैन्यूवर/खाद वितरण रजिस्टर के अनुसार उर्वरक का वितरण दर्शित है। जबकि सदस्य के व्यक्तिगत ऋण खाता रजिस्टर में उक्त उर्वरक का विवरण अंकित नहीं किया गया। इस प्रकार रू0 74829.00 स्टॉक का अपहरण किया गया।

2- खाद वितरण रजि0 में दर्शित खाद की मात्रा से अधिक का स्टॉंक रजिस्टर से खारिज करते हुये कुल रू0 496601.00 मूल्य का स्टॉक अपहरण किया गया।

## पंचायत अनुभाग

ग्राम पंचायत- फोर्ती जनपद-चम्पावत।

(वर्ष 1999-2000 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 27-1-2000 को खाता संख्या 7126 से रू0 10000.00 का आहरण कर कैश बुक के आय पक्ष में न लेकर अपहरण किया गया।

2- माह दिसम्बर 1999 में खाता संख्या 7046 से विभिन्न तिथियों में रू0 150000.00 का आहरण किया गया किन्तु धनराशि को कैश बुक के आय पक्ष में न लेकर अपहरण किया गया।

3- दिनांक 16-2-2001 को खाता संख्या 7126 से आहरित धनराशि रू0 3360.00 का न समायोजन किया गया और न ही रोकड शेष में दर्शित था इस प्रकार धनराशि का अपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत- म्यूंडा, जनपद-देहरादून।**

**(2005-06 से 2007-08)**

**व्यपहरण:-**

1- भुगतान की रसीद लिये बिना वर्ष- 2007-08 में दिनांक 25-04-2007 को रू0 18000.00 जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को वापस छात्रवृत्ति का धन व्यपहरण किया जाना।

**ग्राम पंचायत- भाटगढी, जनपद देहरादून।**

**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

**व्यपहरण:-**

1- प्राप्ति रसीदों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना वर्ष 2005-06 में रू0 50580.00 व रू0 68940.00 छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर व्यपहरण करना।

**ग्राम पंचायत- मैघादू जनपद-देहरादून।**

**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

**व्यपहरण:-**

1- प्राप्ति रसीदों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना वर्ष 2005-06 में रू0 45960.00 छात्रवृत्ति वितरण दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत- अणु जनपद- देहरादून।**

**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

**व्यपहरण:-**

1- प्राप्ति रसीदों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना वर्ष 2005-06 में रू0 29400.00 व वर्ष 2006-07 में रू0 2400.00 छात्रवृत्ति वितरण दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत मुन्धौल जनपद देहरादून।**

**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

**व्यपहरण:-**

1- प्राप्ति रसीदों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना वर्ष 2005-06 व 2006-07 में छात्रवृत्ति वितरण रू0 156960.00 दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

2- बिना व्यय प्रमाणक के कैशबुक में दिनांक 30-03-2006 को प्रशासनिक मद में रू0 4369.00 व्यय दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत बुरास्वा जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- भुगतान प्राप्ति रसीद व व्यय प्रमाणकों के बिना दिनांक 10-08-2006 को स्टेशनरी क्रय रू0 568.00 तथा दिनांक 08-11-2006 को जल उप समि0 बुरास्वा को रू0 144000.00 भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत मयरावना, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2004-05 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- प्राप्ति रसीदों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना वर्ष 2004-05 व 2005-06 में रू0 48900.00 छात्रवृत्ति वितरण दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्रांम पंचायत सीढी बरकोटी, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- क्रय बिलों के बिना दिनांक 25-05-2006 को स्टेशनरी क्रय रू0 560.00 सीमेन्ट क्रय रू0 220.00 बजरी क्रय रू0 1814.00 दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्रांम पंचायत मैन्द्रथ जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2003-05 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- प्राप्ति रसीदों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना वर्ष 2003-04 में रू0 176590.00 वर्ष 2004-05 में रू0 56700.00 व वर्ष 2005-06 में धनराशि 42900.00 छात्रवृत्ति वितरण दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत मिण्डाल जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2007-08)

व्यपहरण:-

1- क्रय बिलों के बिना चैम्बर व टैंक निर्माण हेतु रू0 120033.00 की सामग्री क्रय दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

2- क्रय बिल के बिना दिनांक 07-06-2007 को 10 गाडी रेत व्यय रू0 13000.00 दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत बिजनू जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- वर्ष 2006-07 में बिना प्राप्ति रसीद व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के रू0 6000.00 छात्रवृत्ति वितरण दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत जौली ग्रान्ट, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- वर्ष 2005-06 में बिना प्रमाणकों, योजनावार स्वीकृत प्राक्कलनों, कार्यो की माप कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों आदि के रू0 641707.00 की सामग्री क्रय दिखाकर व्यपहरण किया गया।

2- दिनांक 31-08-2005 को रोकड शेष रू0 14366.00 के बजाय रू0 271.00 दर्शितकर रू0 14095.00 का व्यपहरण किया गया।

3- दिनांक 03-12-2005 से 31-12-2005 तक कैश बुक के व्यय पक्ष का योग 157894 के स्थान पर 227908 दर्शितकर रू0 70014.00 का अपहरण किया गया।

4- वर्ष 2006-07 में कुल दर्शित व्यय रू0 294989.00 का कोई व्यय प्रमाणक योजनावार व्यय, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि न तैयार कर व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत बडोवाला जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- बैंक चालू खाता नं0- 45 से दिनांक 21-12-2005 को रू0 12000.00 दिनांक 28-03-2006 को रू0 14000.00 व दिनांक 29-03-2006 को रू0 6000.00 कुल रू0 32000.00 आहरित कर कोषांकित न कर अपहरण किया गया।

2- दिनांक 31-03-2007 को कैशबुक के व्यय पक्ष का योग 101514.00 के स्थान पर रू0 102063.00 अंकित कर रू0 549.00 रोकड का अपहरण किया गया।

3- पंचायत की कोषवही वर्ष 2005-06 व 2006-07 में विभिन्न क्रय मदों में क्रमश: रू0 310743.00 व रू0 157183.00 का व्यय दिखाकर रोकड खारिज किया गया। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र स्वीकृत योजना न होने से रू0 467926.00 का व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत माजरी ग्रान्ट जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 20-11-2005, 23-11-2005 व 25-11-2005 को ड्यूम पाईप रू0 40000.00 का बिना बिल के खरीद दिखाकर व्यपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

2- प्रधान द्वारा बिना स्वीकृत प्राक्कलन (स्टीमेट) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के वर्ष 2005-06 व 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो आदि पर क्रमश: रू0 1021802.00 व 457426.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत कान्हरवाला जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 19-06-2006 को गंगा युमना ग्रामीण बैंक खाता नं0-3433.00 से आहरित रू0 25000.00 का कोषांकन न कर अपहरण किया गया।

2- दिनांक 26-09-2005 व 29-10-2005 को व्यय पक्ष (कैश बुक) का योग 80653.00 के स्थान पर रू0 82453.00 अंकित कर रू0 1800.00 अधिक व्यय दिखाकर रोकड का अपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

3- बिना स्वीकृत प्राक्कलन व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के वर्ष 2005-06 व 2006-07 में क्रमश: रू0 468416.09 व रू0 216297.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

## ग्राम पंचायत नकरौदा जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- वर्ष 2005-06 से 2007-08 में बिना प्रमाणकों, निर्माण कार्यो की पत्रावलियां स्टीमेंट प्राक्कलन व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों आदि के क्रमश: रू0 216988.43, 174527.00 व 696531.00 का भुगतान कर व्यपहरण किया गया।

गम्भीर अनियमितता:-

2- वर्ष 2007-08 में स्वजल योजना से प्राप्त 2 लाख की राशि का ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं कार्य न कर अन्यत्र हस्तान्तरित किया जाना अनियमित रहा।

## ग्राम पंचायत बालावाला जनपद देहरादून।

(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- दिनांक 15-03-2007 को बैंक खाता संख्या-4360 से चैक नं0- 911484 द्वारा आहरित धनराशि रू0 10900.00 को कोषांकन न कर अपहरण किया गया।

2- दिनांक 05-09-2006 को मिनी बैंक खाता संख्या-1957 से रू0 8500.00 आहरित धनराशि को कोषांकन न कर अपहरण किया गया।

3- वर्ष 2006-07 व 2007-08 में बिना प्रमाणकों, योजनावार स्वीकृत प्राक्कलनों, स्टीमेंट व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों आदि के क्रमश: धनराशि रू0 403245.00 व 1351667.00 विभिन्न मदों में भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत नथुवावाला जनपद देहरादून।

(वर्ष 2006-07 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- ओ0बी0सी0 बालावाला के खाता संख्या- 03212010006270 से दिनांक 17-06-2006 को रू0 5000.00 व 28-11-2006 को रू0 2500.00 कुल रू0 7500.00 के आहरित धनराशि को कोषांकित न कर अपहरण किया गया।

2- वर्ष 2006-07 व 2007-08 में बिना प्रमाणकों, योजनावार स्वीकृत प्राक्कलनों, स्टीमेंट व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों आदि के विभिन्न मदों पर क्रमशः रू0 200272.00 व 922832.00 का भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत गुमानीवाला जनपद देहरादून।**

**(वर्ष 2005-06- से 2007-08)**

**व्यपहरण:-**

1- दिनांक 23-03-2006 को बिना प्रमाणक के रू0 3400.00 का भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**गम्भीर अनियमिततायें:-**

2- बगैर निर्माण कार्यो के प्राक्कलन व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के वर्ष 2005-06 से 2007-08 में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 485110.00, 602491.00 व 1325162.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत रानीपोखरी मौजा, जनपद देहरादून।**

**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

**व्यपहरण:-**

1- प्राप्ति रसीदों व छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना दिनांक 22-10-2005 को रू0 4700.00 तथा दिनांक 24-02-2006 रू0 4500.00 की छात्रवृत्ति भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**अनियमित भुगतान:-**

2- पंचायत की कोषवही वर्ष 2005-06 व 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर प्राक्कलन व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के बिना रू0 463282.00 व रू0 203791.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत खाण्ड, जनपद देहरादून।**

**(वर्ष 2007-08)**

**अनियमित भुगतान:-**

1- बगैर प्राक्कलन व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के वर्ष 2007-08 में विभिन्न मदों पर रू0 233625.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत प्रतीत नगर, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणक के दिनांक 19-04-2005 को रू0 7310.00 व दिनांक 30-04-2005 को रू0 22620.00 कुल रू0 29930.00 का व्यय गैस ऐजेन्सी के पास सी0सी0 रोड निर्माण पर दिखाकर व्यपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

2- पंचायत द्वारा वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक बिना कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के विभिन्न निर्माण कार्यो पर क्रमश: रू0 1161516.00, रू0 551085.00 व रू0 1548059.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत रायावाला, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 में विभिन्न योजनाओं पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना क्रमश: रू0 530422 रू0 618221.00 व रू0 699717.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत गोहरी माफी जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

अनियमित भुगतान:-

1- पंचायत में वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक विभिन्न योजनाओं पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना क्रमश: रू0 282813.00, रू0 136723.00 व रू0 521833.00 का अनियमिता भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत गढी मैचक, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

अनियमित भुगतान:-

1- पंचायत में वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक विभिन्न योजनाओं पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना क्रमश: रू0 263198.00, रू0 149873.00 व रू0 527540.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

## ग्राम पंचायत वीरपुर खुर्द, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणक के दिनांक 01-03-2008 को रोड निर्माण पर व्यय रू0 2400.00 व्यय दिखाकर व्यपहरण किया गया।

2- दिनांक 24-02-2006 को रोकड शेष रू0 3629.00 के बजाय रू0 3269.00 दर्शित कर रू0 400.00 का अपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

3- पंचायत में वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक विभिन्न योजनाओं पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना रू0 276197.00, रू0 181481.00 व रू0 284346.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

## ग्राम पंचायत खदरी खडक माफी, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक विभिन्न योजनाओं पर प्राक्कलन व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना रू0 434735.00, रू0 226948.00 व रू0 959963.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

## ग्राम पंचायत ठाकुरपुर, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- बगैर बिल व मस्टर रौल के दिनांक 20-03-2006 को रू0 1700.00 व दिनांक 31-03-2006 को रू0 9611.00 सी0सी0 मार्ग पर क्रमश: सीमेंन्ट क्रय व मजदूरी का भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

2- बिना व्यय प्रमाणक के दिनांक 21-08-2007 को रू0 4000.00 का व्यय सम्पूर्ण साक्षरता मद में दिखाकर व्यपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

3- वर्ष 2007-08 में श्री शूरवीर सिंह के व्यक्तिगत खेत पर पुस्ता निर्माण पर रू0 34281.00 अनियमित भुगतान किया गया है।

4- वर्ष 2007-08 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर प्राक्कलन व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना रू0 711882.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

## ग्राम पंचायत श्यामपुर, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना रू0 372089.00, रू0 268970.00 व रू0 680714.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

## ग्राम पंचायत ऋषिकेश जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2007-08)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणकों के रू0 40120.00 का व्यय दिखाकर व्यपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

2- वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक विभिन्न कार्यो पर कार्यपूति प्रमाण-पत्र के बिना रू0 1304943.00, 814546.00 व 2322681.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

## ग्राम पंचायत माजरी माफी, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के बिना रू0 81889.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

## ग्राम पंचायत मौहक्कमपुर, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 301827.00 व रू0 174041.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत सांरगधरवाला, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 144129.00 व रू0 53953.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत हर्रावाला, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 221879.00 का अनियिमत भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत चक जोगीवाला, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2007-08 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 205048.00 व रू0 100247.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत साहबनगर, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 190380.00 व रू0 105566.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत तुनवाला, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष आलोच्य में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 151510.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत अठुरवाला, जनपद देहरादून।**
**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

व्यपहरण:-

1- दिनांक 08-11-2006 को रसीद संख्या-00017 से श्री जगदीश सिंह से रू0 17664.00 प्राप्त हुआ जबकि आय पक्ष में कोषांकन रू0 17000.00 करके रू0 664.00 अपहरण किया गया।

2- बिना व्यय प्रमाणक के दिनांक 01-12-2005 को रू0 25920.00 व दिनांक 01-03-2006 को रू0 33600.00 स्ट्रीट लाइट का भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

3- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 372153.00 व रू0 515782.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत भानियावाला, जनपद देहरादून।**
**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रों के बिना रू0 228870.00 व रू0 89770.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत रैनापुर, जनपद देहरादून।**
**(वर्ष 2005-06 से 2006-07)**

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणक के दिनांक 21-07-2005 को झाडी कटान पर रू0 3438.00 का भुगतान दिखाकर व्यपहरण किया गया।

**ग्राम पंचायत मिंयावाला, जनपद देहरादून।**
**(वर्ष 2006-07)**

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2006-07 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों के बिना रू0 350274.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत छिदरवाला, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों के बिना रू0 274397.00 व रू0 162744.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत हरिपुर कलॉं, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों के बिना क्रमश: रू0 398405.00 व रू0 178803.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

**ग्राम पंचायत बागी, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2005-06 व वर्ष 2006-07 में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों के बिना क्रमश: रू0 326363.00 व रू0 208214.00 का अनियमित भुगतान किया गया है।

ग्राम पंचायत हाजा, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2005-06 से 2006-07)

व्यपहरण :-

1- दिनांक 30-08-2004 को मस्टररौल अनुसार मजदूरी योग रू0 10380.00 को रू0 10830.00 कोषांकित करके रू0 450.00 का व्यपहरण किया गया है।

अनियमित भुगतान

2- वर्ष 2005-06 में छात्रवृत्ति का धन रू0 3703.00 अन्य योजनाओं में अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत रंगेऊ, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2006-07)

व्यपहरण:-

1- बिना व्यय प्रमाणक के दिनांक 21-01-2007 को रू0 2000.00 का सीमेंट क्रय व 30-11-2006 को बजरी क्रय पर रू0 20000.00 का दिखाकर व्यपहरण किया गया।

2- बिना व्यय प्रमाणक कैशबुक प्र0सं0-15 पर बजरी क्रय रू0 2785.00 दिखाकार व्यपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत समाल्टा, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

अनियमित भुगतान:-

1- प्राप्ति रसीद छात्रवृत्ति वितरण पंजिका के बिना दिनांक 21-11-2003 को रू0 14000.00 छात्रवृत्ति का अनियमित रूप से वितरण दिखाया गया।

2- वर्ष 2004-05 में 11वें वित्त आयोग के धन से रू0 3595.00 टेलीफोन बिल का अनियमित भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत रानी गांव, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2003-04 से 2004-05)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष 2003-04 में छात्रवृत्ति का धन रू0 300.00 अनियमित रूप से खडन्जा निर्माण पर व्यय किया गया।

ग्राम पंचायत सैजअठ गॉव, जनपद देहरादून।

(वर्ष 2004-05 से 2006-07)

व्यपहरण :-

1- दिनांक 07-04-2004 को छात्रवृत्ति की पासबुक संख्या-3773 से छात्रवृत्ति आहरित कर रू0 21800.00 का कोषांकन न कर व्यपहरण किय गया।

2- दिनांक 02-01-2006 को खाता संख्या-1507 से आहरित रू0 8000.00 का कोषांकन न कर अपहरण किया गया।

अनियमित भुगतान:-

3- दिनांक 30-03-2006 व 31-03-2006 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना मद का रू0 21973.00 अनियमित रूप से नहर निर्माण पर व्यय किया गया। जबकि एस0सी0पी0 के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु धन अलग से स्वीकृत/प्राप्त था।

**ग्राम पंचायत पुरकल गांव, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06)

अनियमित भुगतान:-

1- वर्ष में पंचायत घर निर्माण पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना रू0 135000.00 व हाई ड्रम योजना पर रू0 11830.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत चौकी जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2005-06)

अनियमित भुगतान:-

1- बिना तकनीकी आख्या व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के पंचायत घर निर्माण पर रू0 84938.00 एवं बारात घर निर्माण पर रू0 99725.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

**ग्राम पंचायत अम्बीवाला जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2004-05)

व्यपहरण:-

1- वर्ष 2004-05 में मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का कुल रू0 41760.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

**ग्राम पंचायत हरियावाला खुर्द, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2003-04 व 2004-05)

व्यपहरण :-

1- वर्ष 2003-04 व 2004-05 में मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का रू0 42393.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

**ग्राम पंचायत मालसी, जनपद देहरादून।**

(वर्ष 2004-05)

व्यपहरण :-

1- वर्ष 2004-05 के मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का कुल रू0 50634.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत कांसवाली जनपद देहरादून।

(वर्ष 2003-04 व 2004-05)

व्यपहरण :-

1- वर्ष 2003-04 व 2004-05 के मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का कुल रू0 22504.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत जोहडी जनपद देहरादून।

(वर्ष 2003-04 व 2004-05)

व्यपहरण :-

1- वर्ष 2003-04 व 2004-05 के मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का रू0 13514.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत विजयपुर हाथी बडकला जनपद देहरादून।

(वर्ष 2003-04 व 2004-05)

व्यपहरण :-

1- वर्ष 2003-04 व 2004-05 के मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का रू0 24998.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत विलासपुर काडली जनपद देहरादून।

(वर्ष 2003-04 व 2004-05)

व्यपहरण :-

1- वर्ष 2003-04 व 2004-05 के मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का रू0 14442.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर जनपद देहरादून।
(वर्ष 2003-04 व 2004-05)
व्यपहरण :-

1- वर्ष 2003-04 व 2004-05 के मस्टरोलो में एक ही श्रमिक को एक ही तिथि में अलग-अलग कार्य स्थल पर कार्य करते हुये दर्शित कर मजदूरी का कुल रू0 64786.00 का भुगतान दिखाकर अपहरण किया गया है।

2- आलोच्य वर्षो में कुल रू0 56060.00 छात्रवृत्ति वितरित की गयी है जिसकी पुष्टि में छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर/सूची उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार कोषवही में रू0 56060.00 का अपुष्ट छात्रवृत्ति वितरण दर्शित कर धन का अपहरण किया गया।

## परिशिष्ट 'क'

## (भाग-(1)-(आख्या प्रस्तर 3,1 में सन्दर्भित)

| क्र0 सं0 | संस्था की श्रेणी | संस्थाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 हल्द्वानी नैनीताल | 01 |
| 2 | उत्तरांचल कोआपरेटिव फैडरेशन लि0 प्रेमनगर, देहरादून | 01 |
| 3 | उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 | 01 |
| 4 | जिला सहकारी बैंक लि0 | 10 |
| 5 | अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0 | 08 |
| 6 | जिला सहकारी विकास संघ लि0 | 10 |
| 7 | जिला भेषज विकास संघ लि0 | 12 |
| 8 | थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0 | 06 |
| 9 | क्रय विक्रय सहकारी समितियां | 31 |
| 10 | सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0 | 21 |
| 11 | सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार | 10 |
| 12 | किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां | 753 |
| 13 | कृषि सहकारी समितियां | 04 |
| 14 | सहकारी उपभोक्ता भण्डार | 36 |
| 15 | श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां | 331 |
| 16 | जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 | 12 |
| 17 | सहकारी दुग्ध समितियां | 1231 |
| 18 | सहकारी चीनी मिले | 04 |
| 19 | सहकारी गन्ना समितियां | 13 |
| 20 | सहकारी आवास संघ/समितियां | 60 |
| 21 | बुनकर/खादी/रेशम/उधोग सहकारी समितियां | 159 |
| 22 | सहकारी मत्स्य समितियां | 5 |
| 23 | जिला पंचायतें | 13 |
| 24 | वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0) | 21 |
| 25 | क्षेत्र पंचायत | 95 |
| 26 | पंचायत उधोग | 39 |
| 27 | ग्राम पंचायतें | 7226 |
| | **योग-** | **10113** |

## परिशिष्ट 'ख'

## (आख्या प्रस्तर -3-2- में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एवं उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियम:-

1-जिला सहकारी बैंक:-

(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949

(2) उत्तरंचल सहकारिता अधिनियत 2003 एवं नियमावली 2004

(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावली

(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934

(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972

(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965

(8) निगोशियेवल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881

2- सहकारी संस्थायें:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2002/नियमावली 2004

(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली

(4) आयकर अधिनियम 1987/नियमावली

(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3- दुग्ध/उघोग संस्थायें:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003/नियमावली 2004

(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उघोग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एवं सेवा नियमावली

(4) उ0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम

(5) बिक्रीकर अधिनियम 1948/नियमावली

(6) सैन्ट्रल लेवर एक्ट 1970

(7) कारखाना अधिनियम 1948

(8) वर्क्स कम्पन्सेशन एक्ट

(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1936

4- गन्ना समितियां:-

(1) उ0 प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद अधिनियम

(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

5- मत्स्य समितियां:-

(1) उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004

(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6- पंचायत संस्थायें:-

(1) उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947/नियमावली/उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश 2005

(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली

(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

## वित्तीय नियमावलियां:-

| | | |
|---|---|---|
| 1- | वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पांच व छः | सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू |
| 2- | बजट मैनूअल | सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू |
| 3- | समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेश | सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू |
| 4- | मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस | सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू |
| 5- | उपविधियां/सेवा नियमावलियां | सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओं पर लागू |

# परिशिष्ट 'ग'
## (आख्या प्रस्तर -5-2- में सन्दर्भित)

आडिट 5471/दस-300(8)/74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ, दिनांक सितम्बर, 17, 1977

विषय:- **सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारी का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0-1953/दस-3000(8)/53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0-300/दस-3000(8)/53 दिनांक 16-4-70 का आशिंक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय, सरकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:-

(1)- शीर्षस्थ समितियां जेसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एवं मिल्क बोर्ड कानपुर, मिल्क यूनियन लखनऊ, चीनी मिल, सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें, जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड रूपये से अधिक है, लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)- प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा:-

| क्र0 सं0 | सहकारी समितियों की प्रकृति | शुल्क अवधारणा का आधार | दर |
|---|---|---|---|
| क- | ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली) | लेखा परीक्षा वर्ष की 30 जून की कार्यशील पूंजी पर | 60 पैसे प्रति एक सौ रूपये |
| ख- | उत्पादन संग्रह, क्रय विक्रय एवं उघोग समितियां | लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर | 30 पैसे प्रति एक सौ रूपये |
| ग- | समितियां जिनका प्रभाव उददेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है | लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर | सकल आय का 2 प्रतिशत |

(3)- विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

| क्र0 सं0 | सहकारी समितियां | अधिकतम सीमा | अधिकतम सीमाओं की गणना प्रक्रिया |
|---|---|---|---|
| 1- | जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक | | |
| क | 50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर | 10,000-00 | |
| ख | 50 लाख रू0 से अधिक एक करोड रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर | 20,000-00 | |
| ग | एक करोड रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर | 50,000-00 | |
| 2- | नगर बैंग/प्राईमरी सहकारी बैंक | 10,000-00 | प्रत्येक एक लाख की कार्यशली पूंजी के लिए रू0 200-00 |
| 3- | प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2(क) में उल्लिखित उन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:- | | |
| क | एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर | 500-00 | प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर के लिए रू0 500-00 |
| ख | एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर | 1,000-00 | |
| ग | दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर | 2,000-00 | |
| घ | चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर | 3,000-00 | |
| 4- | वेतन भोगी सहकारी समितियां | 3,000-00 | |
| 5- | जिला सहकारी संघ | 10,000-00 | प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000-00 |
| 6- | सहकारी दुग्ध संघ | 5,000-00 | |
| 7- | प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार | 1,000-00 | प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 150-00 |
| 8- | केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार | 2,000-00 | |
| 9- | नया बाजार | 3,000-00 | |
| 10- | उघोग समितियां | 2,500-00 | प्रत्येक रू0 25,000-00 की बिक्री के लिए रू0 50-00 |
| 11- | प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नहीं निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नहीं है। | 2,000-00 | प्रत्येक 5लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000-00 रू0 |
| 12- | गन्ना संघ एवं समितियां | 20,000-00 | प्रत्येक एक लाख रू0 की |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500-00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100-00 रू0) से अथवा रू0 500-00 जो भी कम हो लगाया जायेगा। |

(2)- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय

(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)

उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस-300 (8)/74

## परिशिष्ट- 'घ'

### ( प्रस्तर 7 - 1 में सन्दर्भित )

### सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची-

| क्र० सं० | जिले का नाम जहां जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है। |
|---|---|
| 1- | उत्तरकाशी |
| 2- | चमोली |
| 3- | टिहरी (नरेन्द्रनगर) |
| 4- | देहरादून |
| 5- | पौडी गढवाल |
| 6- | हरिद्वार |
| 7- | रूद्रप्रयाग |
| 8- | अल्मोडा |
| 9- | पिथौरागढ |
| 10- | नैनीताल |
| 11- | उधमसिंह नगर |
| 12- | बागेश्वर |
| 13- | चम्पावत |

## परिशिष्ट- ''घ-1'' (प्रस्तर 7-1 में सन्दर्भित)

### सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय:-

| | | |
|---|---|---|
| 1- | उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि० हल्द्वानी, नैनीताल। | 01 |
| 2- | उत्तराखण्ड रेशम कोआपरेटित फैडरेशन लि० प्रेमनगर, देहरादून। | 01 |
| 3- | उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि० देहरादून। | 01 |
| 4- | किसा सहकारी चीनी मिल्स लि० बाजपुर, उधमसिंह नगर। | 01 |
| 5- | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० गदरपुर, उधमसिंह नगर। | 01 |
| 6- | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० नादेही, उधमसिंह नगर। | 01 |
| 7- | किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सितारंगज उधमसिंह नगर। | 01 |
| 8- | जिला सहकारी बैंक लि० नैनीताल हल्द्वानी। | 01 |
| | **योग** | **08** |

## उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 :-

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैक लि0 | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134702.00 | 1134702.00 |
| | योग:- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134702.00 | 1134702.00 |

## जिला सहकारी बैंक लि0:-

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला सहकारी बैंक लि0, नैनीताल | 2007-08 | 0 | 550.00 | 0 | 0 | 0 | 550.00 |
| 2 | जिला सहकारी बैंक लि0 टिहरी गढवाल | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220000.00 | 15220000.00 |
| | योग:- | - | 0 | 550.00 | 0 | 0 | 15220000.00 | 15220550.00 |

## उत्तरांचल राज्य सह0 डेरी फेडरेशन

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तरांचल राज्य सह0 डेरी फेडरेशन हल्द्वानी | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31700000.00 | 31700000.00 |

## जिला भेषज सहकारी संघ

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला भेषज सहकारी संघ उत्तरकाशी | 2007-08 | 5000.00 | 61900.00 | 0 | 0 | 0 | 66900.00 |
| | योग | | 5000.00 | 61900.00 | 0 | 0 | 0 | 66900.00 |

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां:-

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटाबाग साधन सहकारी समिति नैनीताल (वि0प्र0) | 2007-08 | 34263.00 | 21239.00 | 0 | 0 | 0 | 55502.00 |
| 2 | गरमपानी साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल | 2006-07 | 16000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000.00 |
| 3 | ओखल दूगा साधन सहकारी समिति नैनीताल | 2007-08 | 909.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.00 |
| 4 | ज्योलीकोट साधन सहकारी समिति नैनीताल | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317000.00 | 1317000.00 |
| 5 | काला आगर साधन सहकारी समिति नैनीताल | 2007-08 | 0 | 10000.00 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 |
| 6 | मोटाहल्द् लि0 से0 सह0 स0 नैनीताल | 2007-08 | 0 | 800.00 | 0 | 0 | 0 | 800.00 |
| 7 | वगड साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल | 2007-08 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00 |
| 8 | पाण्डे गॉव साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल | 2007-08 | 0 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 600.00 |
| 9 | देवीपुरा साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल | 2007-08 | 40350-32 | 2467.00 | 0 | 0 | 0 | 42817.32 |
| 10 | रानी बाग़ साधन सहकारी समिति लि0 नैनीताल | 2007-08 | 10000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | फतैहपुर साधर सहकारी समिति लि0 नैनीताल | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000.00 | 156000.00 |
| 12 | साधन सहकारी समिति लि0 रायपुर देहरादून | 1996-97 से 2006-07 | 357076.00 | 0 | 0 | 0 | 387898.00 | 744974.00 |
| 13 | दूबड सा0सहकारी समिति लि0 चम्पावत | 2006-07 | 1000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.00 |
| 14 | गोसनी सा0स0सहकारी समिति लि0 चम्पावत | 2006-07 से 2007-08 | 22543.00 | 0 | 0 | 0 | 60263.85 | 82806.85 |
| 15 | डुमडाई साधन सहकारी समिति लि0 चम्पावत | 2006-07 | 618.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.80 |
| 16 | चम्पावत सा0स0 समिति लि0 चम्पावत | 2006-07 | 1660.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.00 |
| 17 | मंच सा0स0 समिति चम्पावत | 2007-08 | 23000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000.00 |
| 18 | मझोला दी0बहु0सा0ए0 उधमसिंहनगर | 2003-04 से 2005-06 | 333353.48 | 1353400.88 | 192616.63 | 0 | 0 | 1879370.99 |
| 19 | बलगडी सा0सह0स0 पिथौरागढ | | 107346.00 | 65317.00 | 0 | 0 | 0 | 172663.00 |
| 20 | टिम्टा सा0सह0 समिति पिथौरागढ | | 36389.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36389.42 |
| 21 | खिरमाण्डे सा0सह0 समिति लि0 पिथौरागढ | 2005-06 | 4621.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621.84 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | भुवनेश्वर सा0सह0 समिति लि0 पिथौरागढ | 2005-06 | 0 | 7350.00 | 0 | 0 | 0 | 7350.00 |
| 23 | सिरोली सा0सह0 समिति लि0 पौडी गढवाल | 2005-06 एवं 2007-08 | 1100.00 | 6227.00 | 0 | 0 | 0 | 7327.00 |
| 24 | नगलाइमरती कि0से0सह0 हरिद्वार | 2004-05 एवं 2006-07 | 154910.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154910.00 |
| 25 | वादशाह पुर के0से0सह0 हरिद्वार | 2005-06 एवं 2006-07 | 273952.37 | 50646.00 | 0 | 0 | 0 | 324598.37 |
| 26 | सा0सह0स0 मोतियापातर अल्मोडा | 2006-07 | 13370.00 | 0 | 0 | 0 | 42581.51 | 55951.51 |
| 27 | सा0सह0सं0 दन्या अल्मोडा | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126200.00 | 126200.00 |
| 28 | सा0सह0सं0 ध्याडी अल्मोडा | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111363.00 | 111363.00 |
| 29 | सा0सह0सं0 ताडीखेत अल्मोडा | 2007-08 | 2000.00 | 0 | 34958.00 | 0 | 0 | 36958.00 |
| 30 | सा0सह0सं0 राज0पीडित अल्मोडा | 2005-06 | 25932.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25932.00 |
| 31 | सा0सह0सं0 चिनिया नौला अल्मोडा | 2006-08 | 0 | 0 | 2467.00 | 0 | 10349.00 | 12816.00 |
| 32 | सा0सह0सं0 उज्योला अल्मोडा | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58161:655 | 58161.55 |
| 33 | सा0सह0सं0 लमगडाकपको अल्मोडा | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000-95 | 78990.95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | सा0सह0सं0 खत्याडी अल्मोडा | 2006-07 व 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7575.00 | 7575.00 |
| 35 | सा0सह0सं0 क्वैराला अल्मोडा | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648.00 | 11648.00 |
| 36 | सा0सह0सं0 भिकिया सैंड अल्मोडा | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500.00 | 83500.00 |
| | योग | - | 1460995.23 | 1518046.88 | 230041.63 | 0 | 2451530.86 | 5660614.61 |

## दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां:-

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नैनीताल दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 (वि0प्र0) | 2006-07 | 0 | 414000.00 | 252000.00 | 0 | 5925000.00 | 6591000.00 |
| 2 | दुग्ध उत्पादक सह0संघ लि0 देहरादून | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754606.43 | 5754606.43 |
| 3 | चम्पावत दुग्ध उत्पादक सह0समिति | 2006-07 | 71277.00 | 17276.00 | 0 | 0 | 0 | 88553.00 |
| - | **योग** | - | 71295.00 | 431276.00 | 252000.00 | 0 | 11679606.43 | 12434159.43 |

## दुग्ध समितियाँ

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दुग्ध समिति नाइसिला (वि0प्रति0) | 2007-08 | 33000.00 | 813.94 | 0 | 0 | 0 | 33813.94 |
| | योग | | 33000.00 | 813.94 | 0 | 0 | 0 | 33813.94 |

## सहकारी गन्ना समिति

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहकारी गन्ना समिति हल्द्वानी | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111192.02 | 111192.02 |
| 2 | सहकारी गन्ना समिति लि0 डोईवाला | 2005-06 | 342.39 | 112920.00 | 0 | 0 | 4413625.49 | 4526887.88 |
| 3 | सहकारी गन्ना समिति लि0 ज्वालापुर | 2003-04 से 2004-05 | 571430.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571430.00 |
| | योग | - | 571772.39 | 112920.00 | 0 | 0 | 4524817.51 | 5209509.90 |

## ग्राम पंचायतें:-

| क्र0 सं0 | नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम पंचायत- फोर्ती जनपद- चम्पावत | 1999-2000 से 2007-08 | 163360.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163360.00 |
| 2 | ग्राम पंचायत- म्यूडा वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-08 | 18000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000.00 |
| 3 | ग्राम पंचायत- माटगढी जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 119520.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119520.00 |
| 4 | ग्राम पंचायत- मैघाट वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 45960.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45960.00 |
| 5 | ग्राम पंचायत- अणु वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-07 | 31800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31800.00 |
| 6 | ग्राम पंचायत- मुन्धौल वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 161329.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161329.00 |
| 7 | ग्राम पंचायत- बुरास्वा वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 144568.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144568.00 |
| 8 | ग्राम पंचायत- मयरावना वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 48900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48900.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ग्राम पंचायत- सीढी बरकोटी जनपद- देहरादून | 2006-07 | 2594.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2594.00 |
| 10 | ग्राम पंचायत- मैन्द्रथ वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2003-04 से 2006-07 | 276190.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276190.00 |
| 11 | ग्राम पंचायत- मिण्डाल वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2007-08 | 133033.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133033.00 |
| 12 | ग्राम पंचायत- बिजनू वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2006-07 से 2007-08 | 6000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.00 |
| 13 | ग्राम पंचायत- जौल ग्रान्ट वि0क्षे0 चकराता डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 1020805.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020805.00 |
| 14 | ग्राम पंचायत- बडोवाला वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 500475.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500475.00 |
| 15 | ग्राम पंचायत- माजरी ग्राण्ट वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 40000.00 | 1479228.00 | 0 | 0 | 0 | 1519228.00 |
| 16 | ग्राम पंचायत- कान्हरवाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 26800.00 | 684713.09 | 0 | 0 | 0 | 711513.09 |
| 17 | ग्राम पंचायत- नकरौंदा वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 1088046.43 | 0 | 0 | 0 | 200000.00 | 1288046.43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ग्राम पंचायत- बालावाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2006-07 से 2007-08 | 1774312.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774312.00 |
| 19 | ग्राम पंचायत- नथुवावाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2006-07 से 2007-08 | 1130604.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130604.00 |
| 20 | ग्राम पंचायत- गुमानी वाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 3400.00 | 2412763.00 | 0 | 0 | 0 | 2416163.00 |
| 21 | ग्राम पंचायत- रानी पोखरी यौजा वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 9200.00 | 667073.00 | 0 | 0 | 0 | 676273.00 |
| 22 | ग्राम पंचायत- खाण्ड वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2007-08 | 0 | 233625.00 | 0 | 0 | 0 | 233625.00 |
| 23 | ग्राम पंचायत- प्रतीत नगर वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 29930.00 | 3260660.00 | 0 | 0 | 0 | 3290590.00 |
| 24 | ग्राम पंचायत- राया वाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 1848360.00 | 0 | 0 | | 1848360.00 |
| 25 | ग्राम पंचायत- गोहरी माफी वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 941369.00 | 0 | 0 | 0 | 941369.00 |
| 26 | ग्राम पंचायत- गढी मैचक | 2005-06 से | 0 | 940611.00 | 0 | 0 | 0 | 940611.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2006-07 | | | | | | |
| 27 | ग्राम पंचायत- वीर पुर खुर्द वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 2800.00 | 742024.00 | 0 | 0 | 0 | 744824.00 |
| 28 | ग्राम पंचायत- खदरी खडक माफी वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 1621646.00 | 0 | 0 | 0 | 1621646.00 |
| 29 | ग्राम पंचायत- ठाकुर पुर वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 15311.00 | 746163.00 | 0 | 0 | 0 | 761474.00 |
| 30 | ग्राम पंचायत- श्याम पुर वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 1321773.00 | 0 | 0 | 0 | 1321773.00 |
| 31 | ग्राम पंचायत- ॠषिकेश वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 40120.00 | 4442170.00 | 0 | 0 | 0 | 4482290.00 |
| 32 | ग्राम पंचायत- माजरी माफी वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2006-07 | 0 | 81889.00 | 0 | 0 | 0 | 81889.00 |
| 33 | ग्राम पंचायत- मौहकम पुर वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 475868.00 | 0 | 0 | 0 | 475868.00 |
| 34 | ग्राम पंचायत- सारग धर | 2005-06 से | 0 | 198082.00 | 0 | 0 | 0 | 198082.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2006-07 | | | | | | |
| 35 | ग्राम पंचायत- हर्रावाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2006-07 | 0 | 221879.00 | 0 | 0 | 0 | 221879.00 |
| 36 | ग्राम पंचायत- चकजोगी वाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 305295.00 | 0 | 0 | 0 | 305295.00 |
| 37 | ग्राम पंचायत- साहब नगर वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 295946.00 | 0 | 0 | 0 | 295946.00 |
| 38 | ग्राम पंचायत- तुनवाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2006-07 | 0 | 151510.00 | 0 | 0 | 0 | 151510.00 |
| 39 | ग्राम पंचायत- अठुर वाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 60184.00 | 887935.00 | 0 | 0 | 0 | 948119.00 |
| 40 | ग्राम पंचायत- मानियावाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 318640.00 | 0 | 0 | 0 | 318640.00 |
| 41 | ग्राम पंचायत- रैना पुर वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 3438.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.00 |
| 42 | ग्राम पंचायत- मियांवाला | 2006-07 | 0 | 350274.00 | 0 | 0 | 0 | 350274.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | | | | | | | |
| 43 | ग्राम पंचायत- छिदरवाला वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 437141.00 | 0 | 0 | 0 | 437141.00 |
| 44 | ग्राम पंचायत- हरि पुर कलॉं वि0क्षे0 डोईवाला जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 577208 | 0 | 0 | 0 | 577208.00 |
| 45 | ग्राम पंचायत- बागी वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 0 | 534577.00 | 0 | 0 | 0 | 534577.00 |
| 46 | ग्राम पंचायत- वि0क्षे0 हाजा चकराता जनपद- देहरादून | 2005-06 से 2006-07 | 450.00 | 3703.00 | 0 | 0 | 0 | 4153.00 |
| 47 | ग्राम पंचायत- रगेऊ वि0क्षे0 चकराता जनपद- देहरादून | 2006-07 | 24785.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24785.00 |
| 48 | ग्राम पंचायत- समाल्टा वि0क्षे0 कालसी जनपद- देहरादून | 2003-04 से 2004-05 | 0 | 17595.00 | 0 | 0 | 0 | 17595.00 |
| 49 | ग्राम पंचायत- रानी गांव वि0क्षे0 कालसी जनपद- देहरादून | 2003-04 से 2004-05 | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 300.00 |
| 50 | ग्राम पंचायत- सैजअठ वि0क्षे0 कालसी जनपद- देहरादून | 2004-05 से 2006-07 | 29800.00 | 21973.00 | 0 | 0 | 0 | 51773.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ग्राम पंचायत- पुरकल गांव वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2005-06 | 0 | 146830.00 | 0 | 0 | 0 | 146830.00 |
| 52 | ग्राम पंचायत- चौकी वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2005-06 | 0 | 184663.00 | 0 | 0 | 0 | 184663.00 |
| 53 | ग्राम पंचायत- अम्बीवाला वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2004-05 | 41760.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760.00 |
| 54 | ग्राम पंचायत-हरियावाला खुर्द वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2003-04 व 2004-05 | 42393.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42393.00 |
| 55 | ग्राम पंचायत- मालसी वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2004-05 | 50634.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50634.00 |
| 56 | ग्राम पंचायत- कांसवाली वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2003-04 से 2004-05 | 22504.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22504.00 |
| 57 | ग्राम पंचायत- जोहडी वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2003-04 से 2004-05 | 13514.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514.00 |
| 58 | ग्राम पंचायत- विजयपुर हाथी बडकला वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2003-04 से 2004-05 | 24998.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24998.00 |
| 59 | ग्राम पंचायत- विलासपुर कांडली वि0क्षे0 सहसपुर | 2003-04 से 2004-05 | 14442.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14442.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जनपद- देहरादून | | | | | | | |
| 60 | ग्राम पंचायत- अब्दुला पुर वि0क्षे0 सहसपुर जनपद- देहरादून | 2003-04 से 2004-05 | 120846.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120846.00 |
| | योग:- | - | 7282805.43 | 26553486.09 | 0 | 0 | 200000.00 | 34036291.52 |

# संकलन:-

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं में वित्तीय अनियमित्ताओं सम्बंधी संकलित कुल धनराशि (रु. में)

वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु

| क्र0 सं0 | नाम | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | विविध अनियमितता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134702.00 | 1134702.00 |
| 2 | जिला सहकारी बैंक लि0 | 0 | 550.00 | 0 | 0 | 15220000.00 | 15220550.00 |
| 3 | उत्तराखण्ड राज्य डेरी फैडरेशन | 0 | 0 | 0 | 0 | 31700000.00 | 31700000.00 |
| 4 | जिला सह संघ एवं केन्द्रीय उप0 भण्डार लि0/भेषज संघ | 5000.00 | 61900.00 | 0 | 0 | 0 | 66900.00 |
| 5 | किसान सेवा सहकारी / दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां | 1460995.23 | 1518046.88 | 230041.63 | 0 | 2451530.86 | 5660614.60 |
| 6 | दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ / समितियां | 104277.00 | 432089.94 | 252000.00 | 0 | 11679606.43 | 12467973.37 |
| 7 | विशिष्ट समितियॉं/गन्ना समितियॉं | 571772.39 | 112920.00 | 0 | 0 | 4524817.51 | 5209509.90 |
| | ग्राम पंचायतें | 7282805.43 | 26553486.09 | 0 | 0 | 200000.00 | 34036291.52 |
| - | **योग** | **9424850.05** | **28678992.91** | **482041.63** | **0** | **66910656.80** | **105496541.39** |

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 नि0को0वि0से0 / 430—7—12—2009—400 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

# वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग-2

## (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

वर्ष

2008-09

प्रतिवेदक: निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर,उत्तराखण्ड, देहरादून।

# भाग-2

## (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)

### (1)-प्रशासनिक खण्ड


| क्र०सं० | विवरण | कण्डिका | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1- | विभागीय प्राधिकार के श्रोत | 2.1 | 1 |
| 2- | सम्प्रेक्षाधीन लेखे | 3.1-3.2 | 1 |
| 3- | सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य | 4.1-4.2 | 2-3 |
| 4- | प्रभागीय आय-व्ययक | 5.1 से 5.3 | 3 |
| 5- | वित्तीय वर्ष 2008-09 में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क | 6 | 3 |
| 6- | विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था | 7.1-7.2.3 | 4 |
| 7- | प्रभाग की जनशक्ति | 8 | 5 |
| 8- | सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य | 9 | 5 |
| 9- | सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें | 10.1.1 | 6 |
| 10- | विशेष सम्परीक्षायें | 10.1.2 | 6 |
| 11- | सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति | 10.2.1 से 10.2.2 | 6 |
| 12- | निष्कर्ष | 11 | 7 |
| (2)- कार्यकारी खण्ड | | - | 8-42 |
| (3)-परिशिष्ट,क,ख,ग,घ व अन्य | | - | 42-49 |

# 1- प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराचंल में सम्मिलित कर लिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विधान उत्तरांचल राज्य पर भी इन्हें उपान्तरित किये जाने तक लागू है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा -8(3) के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर आधारित वर्ष 2007-08 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2008-09 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

## 2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

**2.1** प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तदधीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथास्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियाँ **''स्थानीय निधि'' (लोकल फण्ड)** के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रुप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रुप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के पैरा 369 ''के'' में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्यकलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रुप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदानों के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में

स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिये वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था। शर्तो एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की स्थिति से प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख किया गया है।

**2.2** उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 12 सन् 1984) जोकि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ तथा जो नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भी समान रुप से प्रभावी है, की धारा-4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

**2.3** उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यत: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

<u>3- सम्परीक्षाधीन लेखे -</u>

**3.1** वर्ष में 2008-09 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 950 थी। उप सम्परीक्षा से सम्बन्धित 934 संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** में दिये गये हैं। शेष सम्वती सम्परीक्षा एवं शतप्रतिशत लेखा परीक्षा से सम्बन्धित 16 संस्थाओं की सूची **परिशिष्ट ''क'' भाग-2** के रुप में संलग्न है।

**3.2** सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट ''ख''** में दी गई है।

<u>4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य : -</u>

**4.1** शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की

सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व भी हो जाता है।

**4.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-**

- 1- सम्परीक्षित स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5- नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।
- 6- महालेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहृत आख्या प्रस्तुत करना।
- 7- नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 8- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिये उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10- स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवशयकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11 विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठयाँ आयोजित करना।

- 12- धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 13- प्रभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 14- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 15- सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 16- उपर्युक्त स्थानीय निकायों/ संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 17- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5- <u>प्रभागीय आय-व्ययक :-</u>

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय-व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निधारित दरों पर किया जाता है, जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **परिशिष्ट "ग"** उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।

<u>6- विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :-</u> वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :-

| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष | व्यय (रुपये | आरोपित सम्प० शुल्क (रु०) |
|---|---|---|---|
| 1- | 2008-09 | 18955000.00 | 19574232.00 |

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

<u>7.1- विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :-</u> उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा० सं० 5058/ वि०शा०स० /2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रुप में कार्यरत है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यत: द्विस्तरीय है :-

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ"** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "ड."** में दी गयी है।

<u>7.2-1- मुख्यालय स्तर :-</u> स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है, जो निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड हैं जिन्हें अपने कार्यो के साथ-साथ पदेन रुप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तराखण्ड तथा भारतीय धर्मादा सन्दान के उत्तराखण्ड वृत्त के कार्यो का भी सम्पादन करना पडता है।

7.2 -2 – मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-८ में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी संस्थाओं जैसे :- नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

<u>7.3 – जनपद स्तरीय :-</u> लेखा परीक्षाधीन ईकाइयाँ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। विभाग के लेखा परीक्षा कर्मी सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं प्रदेश के 13 जिलों में से अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों मं अभी तक जनपदीय कार्यालय नहीं खोले जा सके हैं। अत: निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

<u>7.4 – राज्य स्तरीय :-</u> शासनादेश संख्या वि०अनु० -1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्रनगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

<u>8- विभाग की जनशक्ति :-</u> वर्ष 2008-09 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

| क्र० सं० | अधिकारी/कर्मचारी का समूह | स्वीकृत पद | कार्यरत संख्या | कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1- | समूह ''क'' | 04 | 01 | 25 |
| 2- | समूह ''ख'' | 16 | 9+1 | 56.25 |
| 3- | समूह ''ग'' | | | |
| | (1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी | 14 | 11 | |
| | (2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-१ | 04 | 03 | |
| | (3) वरिष्ठ लेखा परीक्षक | 82 | 09 | 23 |
| | (4) लेखा परीक्षक | 20 | 05 | |
| | (5) आशुलिपिक | 03 | 00 | |
| | (6) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-१ | 01 | 00 | |
| | (7) प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-२ | 03 | 01 | |
| | (8) मुख्य सहायक | 08 | 05 | |
| | (9) प्रवर सहायक | 12 | 05 | |
| | (10) कनिष्ठ सहायक | 16 | 01 | |
| | (11) वाहन चालक | 03 | 01 | 33.33 |
| 4- | समूह ''घ'' | 61 | 13 | 21.31 |
| | योग | 247 | 65 | 26.31 |

**9- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य :-** वर्ष 2008-09 में 76.67 प्रतिशत स0ले0प0अ0/ज्ये0ले0प0 ग्रेड-1/ज्ये0ले0प0/ले0प0 के पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 950 लेखाओं में से 164 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 786 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी।

**10.1.1 – सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें :-**

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2008-09 तक में सम्रीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रु० **103214286.00** की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है तथा संस्थावार विवरण कार्यकारी खण्ड में दिया गया है।

| क्रमांक | शीर्षक | धनराशि (रु० में) |
|---|---|---|
| 1- | व्यपहरण | 220000.00 |
| 2- | अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान | 48123251.00 |
| 3- | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें | 2729710.00 |
| 4- | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | 75000.00 |
| 5- | आर्थिक क्षति | 44160666.00 |
| 6- | राजस्व क्षति | 1012198.00 |
| 7- | अस्थायी अग्रिम | 599342.00 |
| 8- | अनानुमोदित व्यय | 2203517.00 |
| 9- | दुर्विनियोग | 1737170.00 |
| 10- | परिहार्य व्यय | 43320.00 |
| 11- | दुरूपयोग | 2310112.00 |
| | योग | 103214286.00 |

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2009 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 786 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

**10.1.2 – विशेष सम्परीक्षाऐं :--** प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जाँच संस्था अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष

2008-09 में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून वर्ष 2005-06 से दिनांक 08-09-2007 तक की विशेष सम्परीक्षा सम्पन्न की गयी।

10.2.1 – **सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :-** वर्ष 2008-09 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :-

| | (रुपयों में) |
|---|---|
| 01 अप्रैल, 2008 को प्रारम्भिक शेष | 54839884.00 |
| वर्ष में स्थापित माँग | 19574232.00 |
| योग | 74414116.00 |
| वर्ष में समाहरण | 19332070.00 |
| **31 मार्च, 2009 को बकाया** | **55082046.00** |

10.2.2 - अथक प्रयासों के फलस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड तिरानव्वे लाख वत्तीस हजार सत्तर रुपये की वसूली हुई है जिसमे गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम – 1984 की धारा 4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/ संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम/ लेखा परीक्षा नियमावली अभी प्रख्यापित नहीं हो पायी है जिसका कि प्रख्यापन अपेक्षित है, ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11.1- चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा-3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पत्तियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड को शासनादेश संख्या 163/xxvii(2)/2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण **परिशिष्ट** ''छ'' में दिया गया है।

(1) वर्ष 2008-09 में प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज का 98 प्रतिशत रू0 168070.00 के भुगतान आदेश सम्बन्धित न्यासों को प्रेषित किये गये।

12- लेखाकार परीक्षा का आयोजन :- दिसम्बर, 2008 में जिला पंचायत लेखाकार परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 18 परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया तथा 05 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये। दिसम्बर, 2009 में परीक्षा आयोजन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

13- जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण :- वर्ष 2008-09 में प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :-

| वर्ष के प्रारम्भ में शेष | वर्ष में प्राप्त | वर्ष में निस्तारित | अवशेष |
|---|---|---|---|
| 62 | 426 | 464 | 8 |

14- निष्कर्ष :- उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट ''क'' से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2008-09 में 950 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। जनशक्ति की भारी कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए मात्र 164 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रु० 103214286.00 की गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षति आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

7.11.09
(राजेन्द्र प्रसाद पसबोला)
निदेशक

सहायक निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)
उत्तरांचल, देहरादून

# 2- कार्यकारी खण्ड

## स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2008-09)

वर्ष 2007-08 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित्त वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं। इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

| क्र० सं० | लेखे की श्रेणी | अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रु० में) |
|---|---|---|
| 1 | नगर पालिका परिषदें | 10640851.00 |
| 2 | नगर पंचायतें | 9340844.00 |
| 3 | हायर सेकेण्ड्री/ इण्टर कालेज | 227567.00 |
| 4 | विश्वविद्यालय | 22823555.00 |
| 5 | मन्दिर समितियाँ | 8322.000 |
| 6 | कृ०उ०मण्डी समितियाँ | 3592366.00 |
| 7 | महिला आयोग | 1646981.00 |
| | योग | 4,82,80,486.00 |

टिप्पणी :- विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ज'' में दिया गया है।

# वर्ष 2008-09 में सम्पन्न सम्परीक्षायें

# नगर पालिका परिषदें

## नगर पालिका परिषद मंगलौर (हरिद्वार) (वर्ष 2007-08):-

आर्थिक हानि :-

(1) तहबाजारी ठेकों की शर्तो के अनुसार विलम्ब शुल्क की वसूली न किये जाने के कारण रू0 11000.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (ग)

राजस्व क्षति:-

(2) ठेकों तहबाजारी मुर्दा मवेशी पर स्टाम्प एक्ट के अनुसार स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के फलस्वरूप रू0 54800.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (च)

## नगर पालिका परिषद रूडकी (हरिद्वार) (वर्ष 2007-08):-

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) मिटटी के कार्यो में 12.5 प्रतिशत कटौती ठेकेदारों के देयकों से न करने के कारण रू0 24993.00 का ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया था।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (1)

(2) ठेकेदारों के देयकों से पुरानी ईटों के मूल्य की कटौती न किये जाने के कारण रू0 12000.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (च)

(3) शासनादेशों के प्रावधानों के विपरीत शुभ कामना सन्देशों के प्रकाशन पर रू0 77000.00 का अमान्य भुगतान किया गया था।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (3)

राजस्व क्षति:-

(4) तहबाजारी ठेके पर स्टाम्प एकट के अनुसार स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने से रू0 188280.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (15)

(5) ठेका लोडिंग अनलोडिंग का निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क न लगाये के कारण रू0 121800.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (18)

**आर्थिक क्षतिः-**

(6) पालिका की उपविधियों के अनुसार भैंसा बध शुल्क वसूल न किये जाने कारण रू0 209875.00 की आर्थिक क्षति।

सoआo के प्रस्तर 1 (19)

(7) बीमा कम्पनियों से लाइसेंस शुल्क उपविधि के अनुसार वसूल न किये जाने के कारण रू0 48000.00 की आर्थिक क्षति।

सoआo के प्रस्तर 1 (7)

(8) जल संस्थान एवं शिक्षा विभाग के कार्यालयों पर किराये की मांग आरोपित न किये जाने के कारण रू0 282878.00 की आर्थिक क्षति।

सoआo के प्रस्तर 1(7)

(9) किरायेदारी नाम परिवर्तन की दशा में निर्धारित प्रीमियम व किराये में 50 प्रतिशत वृद्धि न किये जाने के कारण रू0 26626.00 की पालिका को आर्थिक क्षति।

सoआo के प्रस्तर 1 (2)

## नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी (वर्ष 2008-09):-

**अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-**

(1) संविदा एवं दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर रू0 392557.00 का भुगतान हुआ था, जो शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

सoआo भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ग) (अ)

## नगर पालिका परिषद पिथौरागढ (वर्ष 2006-07):-

**आर्थिक क्षति :-**

(1) लाइसेंस की संख्या के अनुरूप शुल्क वसूल न होने से पशुबध शुल्क के रूप में रू0 77424.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

सoआo के प्रस्तर 1 (ख) (1)

**अपव्यय/परिहार्य व्ययः-**

(2) टाइल्स टेस्टिंग पर शासन द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न फर्मो को रू0 566290.00 का व्यय करने के बावजूद टाइल्स टेस्टिंग मशीन क्रय कर रू0 43320.00 का अपव्यय/परिहार्य व्यय किया गया।

सoआo के प्रस्तर 1 (क) (3)

**अस्थाई अग्रिम :-**

(3) 31 मार्च 2008 तक रू0 599342.00 के अस्थाई अग्रिमों का असमायोजित रहना अनियमित था।

स0आ0 के प्रस्तर 9 (ग)

## नगर पालिका परिषद काशीपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07 से 2007-08):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) श्री के0सी0 जुयाल अधिशासी अधिकारी को वेतन एवं अवकाश का रू0 59810.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 1 (क)

(2) ब्रिक वर्क निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान किये जाने के कारण रू0 124311.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 14

(3) अस्वीकृत परियोजनाओं पर रू0 36880000.00 का व्यय अनियमित।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 13

(4) दिलशावद हुसैन ठेकेदार को रू0 56892.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 15

(5) श्री शफीर उददीन को पेटलनगर कालोनी में टाईल्स सड़क निर्माण करने पर रू0 82869.00 का संदिग्ध अनियमित भुगतान।

### आर्थिक क्षति:-

(6) भू-खण्ड के अनियमित हस्तान्तरण से पालिका को रू0 549425.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 6

(7) भू-खण्ड आवंटन के शर्तानुसार कार्यवाही न किये जाने से पालिका को रू0 197707.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 7

(8) ब्याज एवं लीज रेन्ट वसूल न किये जाने से पालिका को रू0 604896.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 8

(9) विभिन्न ठेकों की रू0 812571.00 की राशि वसूल न होने के कारण आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 1 (14)

### राजस्व क्षति:-

(10) निर्धारित मूल्य से कम के स्टाम्प पेपर लगाये जाने से राजकीय राजस्व की क्षति रू0 192800.00।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 2

## नगर पालिका परिषद जोशीमठ (चमोली) (वर्ष 2007-08)

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) फरक्याग्वाड में मार्ग निर्माण में संदिग्ध कार्य का रू0 527099.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 1(छ)

(2) ठेकेदारों के देयकों/धरोहर से अर्थ दण्ड रू0 80500.00 की कटौती न किया जाना अनियमित था।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 1(च)

## नगर पालिका परिषद कोटद्वार (पौडी) (वर्ष 2006-07):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर रू0 176420.00 का भुगतान हुआ था, जो शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 3(झ) (2) (3)

### आर्थिक क्षति:-

(2) श्री रत्नाकर लाहिडी पर 5 दुकानों का किराया रू0 216960.00 बकाया होने व उक्त दुकानों को 22 माह तक किराये पर न देने के कारण रू0 109500.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ख) (2) (3)

(3) पार्किंग शुल्क की धनराशि रू0 324000.00 की वसूली न किये जाने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(च) (1)

## नगर पालिका परिषद श्रीनगर (पौडी गढवाल) (वर्ष 2007-08):-

### आर्थिक क्षति:- :-

(1) तहबाजारी ठेके की अवशेष धनराशि रू0 286000.00 वसूली न होने के कारण आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ड)

(2) पालिका भवन/भू-खण्ड के किराये की वसूली न किये जाने से रू0 969270.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 22

(3) भवन कर की रू0 778005.00 की वसूली न होने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 23(1)

## नगर पालिका परिषद दुगडडा (पौडी) (वर्ष 2006-07):-

**आर्थिक क्षतिः-**

(1) दुकान/भवन किराये का रू0 156436.00 किराये दारों पर बकाया होने व उनकी वसूली न होने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 8(ग)

## नगर पंचायल झबरेडा (हरिद्वार) (वर्ष 2007-08):-

**राजस्व क्षतिः-**

(1) तहबाजारी व मुर्दा मवेशी के ठेकों पर निर्धारित दरों स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के फलस्वरूप रू0 44400.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (क)

## नगर पंचायल लण्ठौरा (हरिद्वार) (वर्ष 2007-08):-

**राजस्व क्षतिः-**

(1) तहबाजारी व मुर्दा मवेशी के ठेकों पर निर्धारित दरों से स्टाम्प शुल्क न लगाये जाने के फलस्वरूप रू0 93000.00 के राजकीय राजस्व की क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर 1 (छ)

**अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतानः-**

(1) शासनादेशों के प्रावधानों के विपरीत शुभ कामना सन्देशों के विज्ञापनों पर रू0 27577.00 का अमान्य भुगतान किया गया था।

स0आ0 के प्रस्तर 1(च)

## नगर पंचायत मुनिकीरेती (टिहरी) (वर्ष 2008-09):-

**अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-**

(1) दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को रू0 105860.00 वेतन भुगतान जो कि शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ख) (2)

**राजस्व क्षति:-**

(2) तहबाजारी को ठेके पर न दिये जाने के कारण रू0 45334.45 रातस्व की क्षति हुई।

सO आO भाग दो (ब) प्रस्तर 1(क) (ब)

## नगर पंचायत देवप्रयाग (टिहरी) (वर्ष 2008-09):-

**अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-**

(1) सफाई कर्मचारी एवं इलैक्ट्रिशियन के दैनिक/सहत वेतन पर कार्यरत होने के कारण रू0 91800.00 का अनियमित भुगतान था।

सO आO भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ग) (1)

## नगर पंचायत चम्बा (टिहरी) (वर्ष 2008-09)

**अधिकष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-**

(1) संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर रू0 721031.00 का भुगतान शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

सO आO भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ख)

## नगर पंचायत कीर्तिनगर (टिहरी) (वर्ष 2008-09)

**अधिकष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-**

(1) श्री रमेश चन्द्र भटट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सविदा पर रखे जाने के कारण रू0 14100.00 वेतनादि का भुगतान शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

सO आO भाग दो (ब) प्रस्तर 1(क)

## नगर पंचायत बड़कोट (उत्तरकाशी) (वर्ष 2008-09):-

**अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-**

(1) संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रू0 33490.00 का व्यय हुआ था, जो शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

सO आO भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क) (1)

(2) बिना पद स्वीकृति के श्री प्रेम सिंह रावत एवं श्री प्रेम सिंह राणा के राजस्व मोहर्रिक पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप वेतनादि पर रू0 200126.00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

सO आO भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क) (2)

## नगर पंचायत गंगोत्री (उत्तरकाशी) (वर्ष 2008-09):-

### अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-

(1) संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर रू0 17400.00 का भुगतान हुआ था, जो शासनादेशानुसार मान्य न होने के कारण अनियमित था।

सO आO भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

## नगर पंचायत हरबंटपुर (देहरादून) (वर्ष 2007-08):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) ठेकोदार को टाइल्स सड़क निर्माण कार्य में रू0 130004.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

सOआO भाग दो (अ) प्रस्तर 1(क)

### आर्थिक क्षति :-

(2) तहबाजारी का ठेका कम धनराशि में दिये जाने के कारण नगर पंचायत को रू0 67625.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

सOआO भाग दो (अ) प्रस्तर 3(ग)

(3) तहबाजारी का ठेका विलम्ब से होने के कारण नगर पंचायत को रू0 31621.00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

सOआO भाग दो (अ) प्रस्तर 1(ख)

### राजस्व की क्षति :-

(2) ठेक का अनुबन्ध कम स्टाम्प शुल्क पर कराये जाने के कारण रू0 85570.00 के राजस्व की क्षति हुई।

सOआO भाग दो (अ) प्रस्तर 2(क)

## नगर पंचायत सुल्तान पुर पटटी (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07 एवं 2007-08):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) श्री प्रवीण कुमार सिंह ठेकेदार को नाला निर्माण कार्य में रू0 17199.00 की जमानत वापसी का अधिक भुगतान।

सOआO भाग दो (अ) प्रस्तर 1(अ)

(2) वाई नं0-04 में नाला निर्माण में विविध अनियमिततायें रू0 411688.00 एव रू0 189585.00 मिटटी भराई का अधिक भुगतान।

सOआO भाग दो (अ) प्रस्तर 2

(3) टाइल्स सडक निर्माण कार्य में रू0 490860.00 का ठेकेदारों को अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 3

(4) स्वीकृत दर से अधिक दरों पर मिटटी का भुगतान किये जाने श्री अनिल कुमार गुप्ता को रू0 743369.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 4

(5) श्री अनिल कुमार गुप्ता ठेकेदार को शिव मंदिर के जीर्णोधार हेतु रू0 111382.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 5

(6) श्री अमित कुमार ठेकेदार को मजदूरों के भुगतान करने पर रू0 15600.00 का अमान्य भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(2)

(7) मै. उत्तरांचल इलैक्ट्रिक काशीपुर को विद्युत पोल आपूर्ति में रू0 69750.00 का अमान्य भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 10

(8) श्री अली हुसैन ठेकेदार को उर्दू मीडियम स्कूल में मिटटी भरान करने पर रू0 36453.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ग) प्रस्तर 14

<u>दुरूपयोग:-</u>

(9) अवस्थापना निधि से प्राप्त अनुदान का रू0 4.94 लाख का दुरूपयोग किया जाना।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(15)

(10) रू0 1632095.00 का स्वीकृत मदों पर उपभोग न करके अस्वीकृत मदों पर व्यय करके दुरूपयोग किया जाना।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 1(1)

## <u>नगर पंचातय शक्तिगढ (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-</u>

<u>अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-</u>

(1) वार्ड सं0 4 में अध्याप्रसाद के घर से देवेन्द्र मल्होत्रा के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने पर दो परियोजनओं पर रू0 42039.00 का ठेकेदार को अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 1

(2) मै. उत्तरांचल इन्जीनियरिंग वर्क्स रूद्रपुर को रू0 60750.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

(3) अवस्थापना निधि में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में 313567.00 का ऋण प्राप्त किया गया था। जिसमें से 30 प्रतिशत भाग शासनादेशों के प्राविधानों के प्रतिकूल विकास कार्यो पर व्यय कर दिया गया था। जो कि रू0 94070.00 अनियमित था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 7

## नगर पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली) (वर्ष 2007-08):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-

(1) उक्त दर की निविदा स्वीकृत पर राजकीय अनुदान से रू0 81187.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (च)

(2) सफाई कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर रू0 15105.00 का अनियमित व्यय किया जाना।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ख)

### राजस्व क्षति:-

(3) तहबाजार ठेके में स्टाम्प शुल्क न लगाये से रू0 44925.00 की राजकीय राजस्व की क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

### आर्थिक क्षति :-

(4) श्री गिरीश चन्द्र डिमरी का सिविल कार्य में जमानत जब्त न किये से 21200 रू0 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ङ)

## नगर पंचायत नन्दप्रयाग (चमोली) (वर्ष 2007-08):-

### राजस्व की क्षति

(1) आयकर, व्यापार कर एवं रायल्टी का रू0 18,422 जमा न किये जाने के कारण राजस्व की क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (ङ)

## नगर पंचायत कालाढुगी (नैनीताल) (वर्ष 2007-08)

### आर्थिक क्षति:-

(1) गृह कर का स. 4,40,085.00 बकाया वसूल न होने से आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

(2) ठेका तहबाजारी का नजागत हुसैन ठेकेदार से रू0 1,22,000.00 व गत वर्ष का रू0 50,300.00 वसूल न होने के कारण आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर (ग) (1)

(3) ठेका पशुबाजार का ठेकेदार रिजवाने से रू0 10,000.00 की वसूली न होने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर (घ)

(4) ठेका पार्किंग ठेकेदार मो0 शकील से रू0 44,000.00 व विगत वर्षों का रू0 27,375.00 वसूल न होने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर (ड)

(5) ठेका हड्डी चर्सा ठेकेदार मौसलीम द्वारा रू0 2000.00 व गत वर्षों का शेष रू0 3100.00 वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर (च)

(6) दुकान किराये की वसूली न किये जाने के कारण रू0 1,15,331.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर (छ)

## नगर पंचायत लालकुऑं (नैनीताल) (वर्ष 2007-08)

### आर्थिक क्षति -

(1) गृह कर की वसूली न किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2006-07 व 2007-08 में रू0 2,99,214.00 व रू0 2,35,967.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1 (क)

### दुरूपयोग-

(2) विज्ञापनों पर किया गया व्यय रू0 18,896.00 नगर पंचायत हित में न होने के कारण निधि का दुरूपयोग हुआ था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1 (ख)

(3) साइन बोर्डों की सम्पत्ति पंजी में प्रविष्टि न होने व शासन के आदेशों के अनुपालन में हटाने के कारण रू0 22,431.00 का व्यय नगर पंचायत निधि का दुरूपयोग था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1 (छ)

## नगर पंचायत द्वाराहाट (अल्मोड़ा) (वर्ष 2007-08):-

### आर्थिक/ अनियमित/ अमान्य भुगतान :-

(1) रू0 32,400.00 की वर्दी नियमानुसार कोआपरेटिव सोसाइटी क्षेत्रीय गाँधी आश्रम से न क्रय किये जाने के कारण किया गया भुगतान अनियमित था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-7

### आर्थिक क्षति-

(2) नगर पंचायत भूतल पर बनी दुकानों पर उपविधियों एवं शासनादेशों के अनुसार प्रक्रिया अमल में न लाये जाने के कारण रू0 11,58,720.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1

(3) तहबाजारी ठेके की रू061,100.00 की वसूली न किये जाने के कारण आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-17

### अस्थायी व्यवहरण-

(4) बैंक खातों से कपट पूर्ण ढंग अधिशासी अधिकारी द्वारा चैक काटकर उनमें उपरिलेखन कर रू0 220,000.00 (स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना खाता ) दिनांक 7-11- 2006 से दि0 15- 10-2007 तक खातों से बाहर रहने के कारण धनराशि का अस्थायी व्यवहरण किया गया था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-19

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति मंगलौर(हरिद्वार) (वर्ष 2007-08):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) सुरक्षा व्यवस्था हेतु कर्मचारी आपूर्ति उच्च फोटेशन दाता फर्म से लिये जाने के कारण रू0 14400.00 का प्रतिमाह अधिक भुगतान हुआ था।

स0आ0 के प्रस्तर-1(1)

(2) मण्डी निदेशक के आदेश प्राप्त किये बिना रू0 15 लाख समिति द्वारा उपनिदेशक (निर्माण) को भुगतान किया जाना अनियमित था।

स0आ0 के प्रस्तर-1(2)

**आर्थिक क्षति:-**

(3) मण्डी परिसर स्थित तालाब की नीलामी न किये जाने के कारण समिति को लगभग रू0 19000.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर-1(3)

**अनानुमोदित व्यय :-**

(4) मण्डी परिसर द्वारा अनुमोदित बजट से समिति द्वारा रू0 359390.00 का विभिन्न मदों में अधिक व्यय कर अनुमोदित व्यय किया था।

स0आ0 के प्रस्तर-1(5)

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूडकी (हरिद्वार) (वर्ष 2007-08):-

**अनानुमोदित व्यय :-**

(1) मण्डी निदेशक द्वारा अनुमोदित बजट के सापेक्ष समिति द्वारा विभिन्न मदों में रू0 1844127.50 का अधिक व्यय कर अनानुमोदित व्यय किया गया था।

स0आ0 के प्रस्तर-1(5)

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति ऋषिकेश (देहरादून) (वर्ष 2007-08):-

**आर्थिक क्षति:-**

(1) ऋषिकेश कालोनी स्थित कर्मचारी आवास किराये की वसूली न किये जाने से मण्डी समिति को रू0 297816.00 की आर्थिक क्षति हुई।

स0टि0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(क)

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकास नगर (देहरादून) (वर्ष 2007-08):-

**आर्थिक क्षति:-**

(1) परिसम्पत्तियों पर किराया वसूल न किये जाने से रू0 66078.00 की आर्थिक क्षति हुई।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(ड)

(2) विविधि लाइसेन्सों के नवीनीकरण न कराये जाने के कारण संस्था को रू0 9725.00 की आर्थिक क्षति हुई।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(ख)

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति किच्छा (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-

(1) श्री कामता प्रसाद चौधरी मण्डी निरीक्षक को से रू0 13510.00 चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-3

### आर्थिक क्षति:-

(2) दुकानदारों पर 31 मार्च 2007 को रू0 55057.00 बकाया रहने के कारण आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(ग)

(3) मण्डी शुल्क का रू0 323973.00 एवं विकास सेस का रू0 17951.00 बकाया रहने के कारण आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-7

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति जसपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2007-08):-

### आर्थिक क्षति:-

(1) जनता राइस मिल जसपुर से रू0 12483.00 का ब्याज न लिये जाने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-1

(2) समिति की दुकानों का किराये के रूप में रू0 277324.00 की धनराशि बकाया रहने के कारण आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-9

(3) मण्डी शुल्क रू0 439164.00 के बकाये रहने के कारण आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-7

## कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06):-

### आर्थिक क्षति :-

(1) परिसम्पत्तियों का किराया वसूल न किये जाने से रू0 406450.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-2(क)

(2) मण्डी शुल्क विकास सेस का रू0 994126.00 को वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-2(ख)

(3) श्रेणी ए0बी0सी0 एवं उप मण्डी स्थल श्रेणी बी की दुकानों को वर्ष पर्यन्त खाली रखने से रू0 38628.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-2(च)

## कृषि उत्पादय मण्डी समिति हल्द्वानी (नैनीताल) (वर्ष 2007-08):-

### आर्थिक क्षति:-

(1) मण्डी शुल्क वित्तिय वर्ष 2006-07 व 2007-08 का क्रमशः रू0 29634.64 व रू0 3985195.14 की वसूली न किये जाने के कारण आर्थिक क्षति हुई थी।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(क)

(2) हायर पर्चेज के अन्तर्गत आवंटित दुकानों के प्रीमियम की धनराशि रू0 224960.00 जो वर्ष 1982 व 1988 की थी, वसूली न होने के कारण आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(ड)

(3) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न किये जाने के कारण रू0 17975.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(छ)

(4) उप मण्डी स्थल भवाली के किराये का रू0 342370.00 व प्रशासन द्वारा अधिग्रहित भूमि/भवन/दुकानों की सम्पत्ति के मूल्यांकन का रू0 1825667.00 कि वसूली न होने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-1(त)

## उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06)

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-

(1) मै0 नरूला कंस्ट्रक्सन को निदेशालय भवन निर्माण हेतु निर्गम 96.282 मी0ट0 सरिया के मूल्य की कटौती अनुबन्ध में रू0 2869492.00 के सापेक्ष रू0 2732431.00 प्रति धन मीटर की दर से अंकित किये जाने के फलस्वरूप रू0 137061.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-2

(2) मै0 शिवालिक एसोसिएट्स को निदेशालय भवन पहूँच मार्ग हेतु निर्गत 250 बैंग सिमेंट मूल्य की बिल से कटौती नहीं किये जाने रू0 41250.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-4(1)

(3) मै0 नरूला कं0 को भवन निर्माण हेतु निर्गत सिमेंट के मूल्य की कटौती न किये जाने से रू0 160160.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-4(1)

(4) श्री जगमोहन चिलवाल को मझेडा से गॉव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण में स्थानीय पत्थर का प्रयोग में न लोन से रू0 337162.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-6

(5) श्री मदन बोश ठेकेदार को सम्पर्क मार्ग निर्माण में हिल साइड कटान से प्राप्त पत्थर का प्रयोग दर्शायें जाने से रू0 146061.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-6(6)

(6) माननीय अध्यक्ष के आवास को कैम्प कार्यालय मानकर रू0 589297.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-16

(7) परिषद के बाहर के कर्मचारियों/अधिकारियों को मानदेय के रूप में रू0 54500.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर-12

**<u>आर्थिक क्षति:-</u>**

(8) ठेका निरस्त किये जाने पर जमानती राशि जब्त न किये जाने से रू0 164393.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-16

(9) ओवर हेतु टैंक के त्रुटिपूर्ण आगणन बनाए जाने से परिषद को रू0 1381001.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-19

## गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रो0 वि0वि0 (फार्म लेखा) हल्दी पन्तनगर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2003-04)

**<u>आर्थिक क्षति:-</u>**

(1) विश्व विद्यालय कि विभिन्न इकाइयों व अन्य से डीजल मरम्मत व ट्रांसपोटेशन चार्ज की वसूली न किये जाने से रू0 2236823.14 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 के प्रस्तर-1(ड)

(2) मानक से कम उत्पादन होने से फार्म निधि को रू0 20583136.68 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर-1(ज)

## राजस्व क्षति:-

(3) ठेकेदारों से निर्धारित दरों पर स्टाम्प पेपर न लगये जाने के कारण रू0 51100.00 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर-1(ग)

(4) मण्डी शुल्क व व्यापार कर न लिये जाने से रू0 71767.00 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

स0आ0 के प्रस्तर-1(ठ)

## दुरूपयोग :-

(5) निर्धारित मानक से अधिक बीज बोना दर्शाकर गेहूँ के बीज रू0 142779.60 का दुरूपयोग किया गया था।

स0आ0 के प्रस्तर-1(झ)

## गोदिन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज धुडदौडी (पौडी गढवाल) (वर्ष 2005-06)

## अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) उत्तरांचल शासन द्वारा कम्प्यूटर की दरें निर्धारित होने पर भी उच्चतर दर से कम्प्यूटर क्रय किये जाने के कारण रू0 127310.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-1(अ)

(2) संस्था द्वारा चयन समिति के सदस्यों को रू0 67000.00 का अनियमित भुगतान किया था।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-1(ड)

(3) सुरक्षा कर्मियों को अधिक दर से भुगतान करने के कारण रू0 667125.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर-1(छ) (1)

# विशेष सम्परीक्षा

## उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून (वर्ष 2005-06 से दिनांक 8-09-2007 तक):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) काउन्सिलिंग में सम्मिलित अधिकारियों व कर्मचारियों को उच्च दरों पर भुगतान जो शासन द्वारा अनुमोदत नहीं थी के कारण रू0 1343575.00 का अनियमित भुगतान था।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 1

(2) काउन्सिलिंग के समय अनुपस्थित रहने पर भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पारिश्रामिक एवं यात्रा देयकों का रू0 235924.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 3(II)

(3) प्राविधिक शिक्षा विभाग के स्टाफ को मानदेय का रू0 15200.00 का भुगतान शासनादेशों के अनुसार न होने के कारण अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 3(III)

(4) संविदा पर रखे गये कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की स्थिति में भी रू0 115700.00 के पारिश्रामिक का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 3(5)

(5) विज्ञापन की दरें उच्च होने व एजेन्सी के माध्यम से सेवा कर का भुगतान करने के कारण रू0 16766.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 4(ब)

(6) काउन्सिलिंग के समय नियम विरूद्ध यात्रा भत्ता देने के कारण रू0 19622.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 4(स)

(7) कार्य उददेश्य स्पष्ट न होने के कारण रू0 1,21673.00 के पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 6(1)

(8) प्रो0 बी0 के तिवारी एवं आर0 के0 सिंह को दैनिक मानदेय का रू0 44000.00 काउिन्सलिंग हेतु अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 6(2)

(9) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च दरों से दैनिक भत्ता देने के कारण रू0 34132.00 का अधिक भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 6(3)

(10) काउन्सिलिंग में आये कर्मचारियों /अधिकारियों को उनके निवास से कार्यालय तक स्थानीय मार्ग व्यय हेतु रू0 24249.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 6(5)

(11) वाहन क्रय हेतु शासन से अनुमति न लिये जाने के कारण रू0 13,63,261.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 8(1)

## आर्थिक क्षति-

(12) वर्ष 2006-07 में प्रासपैक्टस फार्म की बिक्री से प्राप्त रू0 1200.00 विश्वविघालय निधि में जमा न किये जाने से आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 5(1)

(13) विघालयों से परीक्षा शुल्क कम प्राप्त होने के कारण रू0 30,75,645.00 की आर्थिक क्षति।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 10

## अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-

(14) पद सृजित नहीं होने व संविदा में कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण पारिश्रमिक पर रू0 1066821.00 का अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 7(1)

(15) रू0 39445.00 के चिकित्सा बिल मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित न होने के कारण अनियमित भुगतान।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 7(2)

### दुर्विनियोग:-

(16) पोस्ट ऑफिस से फार्म विक्रय की आय रू0 1737170.00 को कुलपति के व्यक्तिगत खाते में जमा के करने कारण रू0 23162.00 के ब्याज की आर्थिक क्षति के कारण अस्थायी दुर्विनियोग।

स0आ0 भाग एक प्रस्तर 1

## एस0सम0जे0एन0 डिग्री कालेज हरिद्वार (वर्ष 2006-07 से 2007-08):-

### राजकीय अनुदान :-

(1) यू0जी0सी0 अनुदान की धनराशि को विषय विशेष की मान्यता हेतु अनियमित रूप से रू0 75000.00 सावधि जमा से रूप में विनियोजित कर अनुदान का विचलन किया गया था।

स0आ0 के प्रस्तर 1(क)

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-

(1) मानचित्र स्वीकृति हेतु रू0 37134.00 विकास शुल्क का भुगतान महाविद्यालय के विकास निधि खाते से किया था, जबकि उक्त भुगतान भवन हेतु प्राप्त अनुदान से न करने के कारण किया गया भुगतान अनियमित था।

स0आ0 के प्रस्तर 1(घ)

## श्री पूर्णानन्द इण्टर कालेज मुनि की रेती (टिहरी) (वर्ष 2008-09):-

### अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-

(1) कर्मचारियों को श्रेणी-सी के अनुसार गृह किराया भत्तों का भुगतान किये जाने के कारण रू0 13590.00 का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(क)(अ)

## लालबहादुर शास्त्री जू0हा0 ढालवाला मुनि की रैती (टिहरी) (वर्ष 2008-09):-

### अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें:-

(1) संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों पर रू0 33490.00 का भुगतान शासनादेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(ख)

## इण्टर कालेज सात सिलिंग (पिथौरागढ) (वर्ष 2007-08):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) बिना प्रापर बिल के रू0 100000.00 का फर्नीचर किया ज़ाना अनियमित था।

स0आ0 के प्रस्तर 1

## बी0एस0सी0 इण्टर कालेज जसपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2006-07 व 2007-08):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :-

(1) बिना कोटेशन/टेण्डर एवं वर्क आर्डर दिए बिना बाजार माव का प्रतिस्पधत्मिक लाभ लिए बिना ही रू0 75600.00 का फर्नीचर क्रय किया जाना अनियमित।

स0आ0 भाग दो (ब) प्रस्तर 1(घ)

## इण्टर मीडिएट कालेज बाजपुर (उधमसिंह नगर) (वर्ष 2005-06):-

### अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान:-

(1) पी0टी0ए0 अध्यापकों का मानदेय अनुरक्षण खाते की रोकड वही एवं अनुदान पंजिका में न लिये जाने रू0 50666.00 का अनियिमत भुगतान।

स0आ0 भाग दो (अ) प्रस्तर 3

# परिशिष्ट ''क'' भाग-I

(प्रस्तर- 3 में सन्दर्भित)

**उपसम्परीक्षा के लेखे –**

| क्र०सं० | लेखे की श्रेणी | लेखाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1- | नगर निगम | 01 |
| 2- | नगर पालिका परिषद | 31 |
| 3- | नगर पंचायतें | 33 |
| 4- | विकास प्राधिकरण | 05 |
| 5- | विश्वविद्यालय | 04 |
| 6- | डिग्री कालेज | 13 |
| 7- | इण्टर कालेज | 196 |
| 8- | जूनियर हाई स्कूल | 236 |
| 9- | संस्कृत पाठशालायें | 63 |
| 10- | कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ | 19 |
| 11- | ट्रस्ट लेखे | 76 |
| 12- | विविध लेखे | 226 |
| 13- | उत्तरांचल संस्कृत अकादमी | 01 |
| 14- | बेसिक शिक्षा समितियाँ | 13 |
| 15- | वन विकास निगम | 01 |
| 16- | उत्तरांचल चाय बोर्ड | 01 |
| 17- | पेंशन निधियाँ | 14 |
| 18- | उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि काशीपुर | 01 |
| योग | | 934 |

# परिशिष्ट ''क'' भाग-2

## (प्रस्तर-3.1 में सन्दर्भित)

## (क) सम्वर्ती सम्परीक्षायें :-

| | |
|---|---|
| (1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) | 01 |
| (2) -------तदैव------ (फार्म लेखा) | 01 |
| (3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल। | 01 |
| (4) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर। | 01 |
| योग | 04 |

## (ख) शत-प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) इन्जीनियरिंग कालेज | | 02 |
| (2) मन्दिर समितियाँ | | 03 |
| (3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे | | 07 |
| (क) विश्वविद्यालय | 04 | |
| (ख) माध्यमिक शिक्षा | 02 | |
| (ग) प्राविधिक शिक्षा | 01 | |
| योग | | 12 |
| महायोग | | 16 |

# परिशिष्ट ''ख''

## (प्रस्तर-3.2 में सन्दर्भित)

## लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :-

| | |
|---|---|
| 1- नगर निगम | नगर निगम अधिनियम 1959 |
| 2- नगर पालिकायें | नगर पालिका अधिनियम 1916 |
| 3- नगर पंचायतें | ---तदैव--- |
| 4- (क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ | उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964 |
| (ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद | ---तदैव--- |
| 5- (क) जिला बेसिक शिक्षा समितियाँ | उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972 |
| (ख) बेसिक शिक्षा परिषद | ---तदैव--- |
| 6- राज्य विश्वविद्यालय | उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973 |
| 7- विकास प्राधिकरण | उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 |
| 8- वन निगम | उ०प्र० वन निगम अधिनियम-1974 |
| 9- महाविद्यालय, इण्टर कालेज | वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम। |
| 10- कृषि विश्वविद्यालय | कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तदधीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश। |

## वित्तीय - विनियमावलियाँ

| | | |
|---|---|---|
| वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पाँच,छः | -- | सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू। |
| बजट मैनुअल | -- | सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू। |
| समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन | -- | सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू। |

# परिशिष्ट ''ग''

## (प्रस्तर-5.3 में सन्दर्भित)

**शासनादेश संख्या आडिट -1892/दस-78-355(10) दिनांक 21 जून, 1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :-**

**(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :-**

| | |
|---|---|
| (1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर | 05 प्रतिशत |
| (2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर | रु० 2500.00 |
| (3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर | रु० 100.00 |
| (4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क | रु० 500.00 |

**(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :-**

| | |
|---|---|
| (1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर | 01 प्रतिशत |
| (2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर | रु० 800.00 |
| (3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर | रु० 30.00 |
| (4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क | रु० 75.00 |

**(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-**

| | |
|---|---|
| (1) कुल आय पर | 0.75 प्रतिशत |
| (2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क | रु० 75.00 |

**(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-**

| | |
|---|---|
| (1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर | 01 प्रतिशत |
| (2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर | रु० 800.00 |
| (3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर | रु० 30.00 |
| (4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क | रु० 500.00 |

**(च) शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :-**

शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

**(च) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :-**

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है। सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्तविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

# परिशिष्ट ''घ''

**(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)**

| क्र०सं० | जनपद का नाम | पता | दूरभाष संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | देहरादून | 8-ए बंगाली मौ० करनपुर, देहरादून। | 0135-2744075 |
| 2 | हरिद्वार | नगर पालिका परिषद हरिद्वार पिनकोड- | 01344-220955 |
| 3 | टिहरी (गढवाल) | विकास भवन नई टिहरी1 249148 | 01376-232805 |
| 4 | पौड़ी (गढवाल) | माल रोड पौड़ी | 01368-223477 |
| 5 | चमोली | पैट्रोल पम्प, नगर पालिका परिषद के नीचे गोपेश्वर (चमोली) | 01372- 251486 |
| 6 | उधमसिंह नगर | पुराना कोषागार भवन किच्छा बाइपास रोड आकांक्षा शोरूम के पास रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) | 05944-244807 |
| 7 | नैनीताल | हरिनिवास मिडिल अयारपाटा मल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड-263001 | 05942-237781 |
| 8 | अल्मोड़ा | गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा। पिनकोड-263601 | 05962-233886 |
| 9 | पिथौरागढ़ | उपाध्याय भवन, टकाना रोड पिथौरागढ़। पिनकोड-262522 | 05964-22857 |
| 10 | देहरादून | वन विकास निगम अरण्य विकास भवन 73 नेहरू रोड देहरादून | - |

# परिशिष्ट ''ड.''

## (प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

**सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :-**

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूं।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूं।

(3) सहायक निदेशक, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढवाल)।

**राज्य स्तरीय कार्यालय :-**

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, वन विकास निगम नरेन्द्रनगर (अस्थायी मुख्यालय, देहरादून)।

(2) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।

# परिशिष्ट "च"

## (प्रस्तर-10.1.1(ख) में सन्दर्भित)

## लेखेवार अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

| क्र०सं० | संस्थाओं का नाम | 01 अप्रैल, 06 को प्रा०शेष | वर्ष में आरोपित | योग | वर्ष में निस्तारण | 31 मार्च, 07 को अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर निगम | 5789 | 0 | 5789 | 0 | 5789 |
| 2 | नगर पालिकायें | 15179 | 532 | 15711 | 278 | 15433 |
| 3 | नगर पंचायतें | 6015 | 345 | 6360 | 444 | 5916 |
| 4 | शिक्षण संस्थायें | 16955 | 343 | 17298 | 369 | 16929 |
| 5 | कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ | 1691 | 131 | 1822 | 125 | 1697 |
| 6 | उत्तराखण्ड राज्य कृ० उ० मण्डी परिषद | 352 | 0 | 352 | 36 | 316 |
| 7 | क्षेत्र पंचायतें | 3474 | 0 | 3474 | 0 | 3474 |
| 8 | चैकित्सिक संस्थायें | 694 | 0 | 694 | 36 | 658 |
| 9 | ट्रस्ट लेखे | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 10 | विविध लेखे | 7377 | 154 | 7531 | 39 | 7492 |
| 11 | बेसिक शिक्षा समितियाँ | 5086 | 49 | 5135 | 0 | 5135 |
| 12 | महाविद्यालय | 3311 | 0 | 3311 | 0 | 3311 |
| 13 | विकास प्राधिकरण | 1784 | 147 | 1931 | 0 | 1931 |
| 14 | मन्दिर समितियाँ | 786 | 59 | 845 | 121 | 724 |
| 15 | वन निगम | 0 | 891 | 891 | 250 | 641 |
| 16 | पालिटेक्निक संस्थायें | 267 | 0 | 267 | 0 | 267 |
| 17 | इन्जीनियरिंग कालेज | 859 | 0 | 859 | 14 | 845 |
| 18 | विश्वविद्यालय | | | | | |
| | (क) कुमाऊं विश्वविद्यालय | 4561 | 0 | 4561 | 32 | 4529 |
| | (ख) गढ़वाल विश्वविद्यालय | 717 | 0 | 717 | 0 | 717 |
| 19 | कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय | 2332 | 0 | 2332 | 419 | 1913 |
| | (क) सामान्य लेखा | 1698 | 80 | 1778 | 462 | 1316 |
| | (ख) फार्म लेखा | | | | | |
| 20 | म्यूनिस्पल फारेस्ट | 278 | 0 | 278 | 0 | 278 |
| 21 | जिला नगरीय विकास अभिकरण | 531 | 0 | 531 | 0 | 531 |
| | योग | 79858 | 2731 | 82589 | 2625 | 79964 |

# परिशिष्ट ''छ''

## प्रान्तीय न्यासों की सूची

## (प्रस्तर-11.1 में सन्दर्भित)

1- तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
2- पं० ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
3- पदमा जोशी फण्ड, अल्मोड़ा।
4- लक्ष्मी देवी मैडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
5- हरिनन्दन पुनेठा स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।
6- विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
7- नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलोन, मसूरी।
8- राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।
9- टी०सी० मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।
10- स्टावेल मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
11- गढ़वाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
12- आर० मिस्टिस डे एण्डाउमेंट ट्रस्ट यू०पी०, गढ़वाल।
13- गढ़वाल क्ले मैमोरियल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।
14- राय महावीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
15- चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
16- प० तारादत्त खण्डूरी, स्कारलशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
17- ठाकुर शालिग्राम सिंह परमार स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढ़वाल।
18- गोविन्द पाठशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
19- विक्ट्री मैमोरियल गढ़वाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।
20- श्रीमती सुशीला काला छात्रवृत्ति न्यास, रुद्रप्रयाग।
21- कुमाऊं एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।
22- बच्चा सीडसइण्डिजेण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।
23- रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।
24- बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, नैनीताल।
25- राधेहरि स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, उधमसिंह नगर।
26- लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजुकेशन एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
27- राय साहब पं० नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कारशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।
28- श्री संकट मोचन हनुमान मन्दिर हनुमानगढ़, नैनीताल।
29- श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।

30- टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डाउमेंट, रुड़की।

31- विजयानगरम् स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।

32- फेयरलो मैमोरियल फण्ड।

33- कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।

34- सुल्लीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट।

35- जनरल अप्रैटिंस फण्ड, रुड़की वर्कशाप।

36- बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।

37- फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।

38- गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।

39- सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।

40- सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रुड़की।

41- रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट।

42- गवर्नमेन्ट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।

43- लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

44- शीलप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।

45- श्रीमती सरस्वती विष्ट स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।

46- गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट, देहरादून।

**केन्द्रीय न्यासों की सूची**

(1) गढ़वाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

# परिशिष्ट''ज''

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

## नगर पालिका परिषदें

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | अस्थायी अग्रिम | दुर्विनियोग के प्रकरण | परिहार्य व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | नगर पालिका परिषद मंगलौर | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 65800 |
| 2 | नगर पालिका परिषद रूड़की | 2007-08 | 0 | 113993 | 0 | 0 | 567379 | 310080 | 0 | 0 | 0 | 991452 |
| 3 | नगर पालिका परिषद जौशीमठ | 2007-08 | 0 | 607599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607599 |
| 4 | नगर पालिका परिषद पिथौरागढ | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77424 | 0 | 599342 | 0 | 43320 | 720086 |
| 5 | नगर पालिका परिषद दुगड्डा | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156436 |
| 6 | नगर पालिका परिषद कोटद्वार | 2006-07 | 0 | 176420 | 0 | 0 | 645460 | 0 | 0 | 0 | | 821880 |
| 7 | नगर पालिका परिषद काशीपुर | 2006-07 से 2007-08 | 0 | 37203882 | 0 | 0 | 1433285 | 192800 | 0 | 0 | | 38829967 |
| 8 | नगर पालिका परिषद श्रीनगर | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033275 |
| 9 | नगर पालिका परिषद उत्तर काशी | 2008-09 | 0 | 0 | 392557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392557 |
| | योग | - | 0 | 38101894 | 392557 | 0 | 4924259 | 557680 | 599342 | 0 | 43320 | 44619052 |

# नगर पंचायतें

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | अस्थायी अग्रिम | दुरूपयोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | नगर पंचयत हरबर्टपुर | 2007-08 | 0 | 130004 | 0 | 0 | 99246 | 85570 | 0 | 0 | 0 | 314820 |
| 2 | नगर पंचायत झबरेड़ा | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 44400 |
| 3 | नगर पंचायत लण्ढौरा | 2007-08 | 0 | 27577 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 120577 |
| 4 | नगर पंचायत मुनकीरेती | 2008-09 | 0 | 0 | 105860 | 0 | 0 | 45334 | 0 | 0 | 0 | 151194 |
| 5 | नगर पंचायत देवप्रयाग | 2008-09 | 0 | 0 | 91800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91800 |
| 6 | नगर पंचायत कीर्तिनगर | 2008-09 | 0 | 0 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 |
| 7 | नगर पंचायत बड़कोट | 2008-09 | 0 | 0 | 233616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233616 |
| 8 | नगर पंचायत गंगोत्री | 2008-09 | 0 | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 |
| 9 | नगर पंचायत चम्बा | 2008-09 | 0 |  | 721031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721031 |
| 10 | नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी | 2006-07 से 2007-08 | 0 | 2085887 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2126095 | 0 | 4211982 |
| 11 | नगर पंचायत शक्तिगढ | 2006-07 | 0 | 196859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196859 |
| 12 | नगर पंचायत कालीढुंगी | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814191 |
| 13 | नगर पंचायत कर्णप्रयाग | 2007-08 | 0 | 96292 | 0 | 0 | 21200 | 44925 | 0 | 0 | 0 | 162417 |
| 14 | नगर पंचायत | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18422 | 0 | 0 | 0 | 18422 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नंदप्रयाग | | | | | | | | | | | |
| 15 | नगर पंचायत लाल कुआँ | 2007-08 | | | | | 535181 | 0 | 0 | 0 | 41327 | 576418 |
| 16 | नगर पंचायत द्वाराहाट | 2007-08 | 220000.00 | 32400.00 | 0 | 0 | 1219820 | 0 | 0 | 0 | 0 | •472220 |
| | योग | | 220000 | 2569019 | 1183807 | 0 | 2689638 | 331651 | 9161447 | 0 | 2167332 | 9161443 |

## कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | अनानुमोदित एवं विविध अनियमितताएं | दुर्विनियोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | कृषि उत्पादन मण्डी समिति मंगलौर | 2007-08 | 0 | 1514400 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 359390 | | 0 | 1892790 |
| 2 | कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूड़की | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844127 | 0 | 0 | 1844127 |
| 3 | कृषि उत्पादन मण्डी समिति ऋषिकेश | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297816 |
| 4 | कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75803 |
| 5 | कृषि उत्पादन मण्डी किच्छा | 2006-07 | 0 | 13510 | 0 | 0 | 396981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410491 |
| 6 | कृषि उत्पादन मण्डी समिति जसपुर | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439164 |
| 7 | कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6425802 |
| 8 | कृषि उत्पादन मण्डी समिति सितारगंज | 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439204 |
| | योग | - | 0 | 1527910 | 0 | 0 | 9093770 | 0 | 0 | 0 | 2203517 | 12825197 |

## विश्वविद्यालय

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | अस्थायी अग्रिम | दुर्विनियोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (देहरादून) | 2005-06से दिनांक 08-09-2007 तक | 0 | 3334102 | 1106266 | 0 | 3087645 | 0 | 0 | 1737170 | 0 | 9265183 |
| | योग | - | 0 | 3334102 | 1106266 | 0 | 3087645 | 0 | 0 | 1737170 | 0 | 9265183 |

## विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | दुरूपयोग के प्रकरण | दुर्विनियोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रो0 विश्वविद्यालय पंतनगर (फार्म लेखा) | 2003-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22819960 | 122867 | 142780 | 0 | 0 | 23085607 |
| | योग | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22819960 | 122867 | 142780 | 0 | 0 | 23085607 |

## कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | दुरूपयोग के प्रकरण | दुर्विनियोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | कृषि उत्पादन मण्डी परिषद रूद्रपुर | 2005-06 | 0 | 1465491 | 0 | 0 | 1545394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010885 |
| | योग | - | 0 | 1465491 | 0 | 0 | 1545394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010885 |

# शिक्षण संस्थायें

## जू0 हा0/इ0 का0/डिग्री कालेज

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | अस्थायी अग्रिम | दुर्विनियोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | श्री पूर्णानन्द इण्टर कालेज मुनिकिरेती, टिहरी | 2008-09 | 0 | 0 | 13590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13590 |
| 2 | लाल बहादुर शास्त्री जु0 हा0 ढाल वाला मुनिकिरेती, टिहरी | 2008-09 | 0 | 0 | 33490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33490 |
| 3 | इण्टर कालेज सातसिलिंग पिथौरागढ | 2007-08 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 4 | बी0 एस0 सी0 इण्टर कालेज, जसपुर, उधमसिंह नगर | 2006-07से 2007-08 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 |
| 5 | इण्टरमीडिएट कालेज बाजपुर, उधमसिंहनगर | 2005-06 | 0 | 50666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50666 |
| 6 | एस0 एम0 जे0 एन0 डिग्री कालेज हरिद्वार | 2006-07से 2007-08 | 0 | 37134 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112134 |
| | योग | - | 0 | 263400 | 47080 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385480 |

## इंजीनियरिंग कालेज

| क्र० सं० | लेखे का नाम | अवधि | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | अस्थायी अग्रिम | दुर्विनियोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | गोविन्दवल्लभ इन्जीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी, पौड़ी गढवाल | 2005-06 | 0 | 861435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861435 |
| | योग | - | 0 | 861435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861435 |

## सारांश

| क्र० सं० | लेखे का नाम | व्यपहरण | अधिक/ अनियमित भुगतान | अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय | राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें | आर्थिक क्षति | राजस्व क्षति | अस्थायी अग्रिम | दुर्विनियोग के प्रकरण | अनानुमोदित /विविध अनियमि_ततायें | परिहार्य व्यय | दुरूपयोग | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 |
| 1 | नगर पालिका परिषदें | 0 | 38101894 | 392557 | 0 | 4924259 | 557680 | 599342 | 0 | 0 | 43320 | 0 | 44619052 |
| 2 | नगर पंचायतें | 220000 | 2569019 | 1183807 | 0 | 2689638 | 331651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167332 | 9161447 |
| 3 | कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ | 0 | 1527910 | 0 | 0 | 9093770 | 0 | 0 | 0 | 2203517 | 0 | 0 | 12825197 |
| 4 | विश्वविद्यालय सम्वर्ती | 0 | 0 | 0 | 0 | 22819960 | 122867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142780 | 23085607 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सम्परीक्षा | | | | | | | | | | | | |
| 5 | विश्वविद्यालय विशेष सम्परीक्षा | 0 | 3334102 | 1106266 | 0 | 3087645 | 0 | 0 | 1737170 | 0 | 0 | 0 | 9265183 |
| 6 | शिक्षण संस्थायें | 0 | 263400 | 47080 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385480 |
| 7 | कृषि उत्पादन मण्डी परिषद | 0 | 1465491 | 0 | 0 | 1545394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010885 |
| 8 | इन्जीनियरिंग कालेज | 0 | 861435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861435 |
| | योग | 220000 | 48123251 | 2729710 | 75000 | 44160666 | 1012198 | 599342 | 1737170 | 2203517 | 43320 | 2310112 | 103214286 |